● वर्ष : 17 ● अंक : 197 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शुक्रवार 08 मई 2026

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सम्राट कैबिनेट का विस्तार

● 30 मंत्रियों ने ली शपथ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार बने मंत्री

● गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन के साथ एनडीए ने दिखाई एकजुटता

एजेंसी। पटना

बिहार की राजनीति में गुरुवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किया गया। मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद हुए इस मेगा कैबिनेट विस्तार समारोह में गांधी मैदान में 30 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। समारोह को एनडीए की शक्ति और एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सीएम सम्राट के नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जदयू से 13, एलजेपी (रामविलास) से 2 तथा हम और आरएलएम से एक-एक मंत्री शामिल किए गए हैं। खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया, जबकि दोनों फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नई कैबिनेट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से 10, ओबीसी से 6, दलित वर्ग से 7, सवर्ण वर्ग से 9 तथा मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री को जगह दी गई है। वहीं पांच महिला मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें तीन मंत्री जदयू कोटे से हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाकर उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आत्मीयता भी देखने को मिली।

एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक मोदी का रोड शो : शपथ ग्रहण के पहले चरण में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। समारोह के दौरान गांधी मैदान पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उमड़े। जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर हरे राम-हरे कृष्ण भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जबकि राजधानी पटना में "भगवामय, अंग, बंग और कलिंग" जैसे पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया।

पीएम 10 मई को जाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, ध्यान मंदिर का करेंगे उद्घाटन

बेंगलुरु। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को बेंगलुरु स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग के अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एक ऐतिहासिक आयोजन को संबोधित करने जा रहे हैं। यह गौरवशाली अवसर संस्था के 45 वर्ष पूरे होने और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। भारत के इस सबसे बड़े और दूरगामी आध्यात्मिक आंदोलन के इस वैश्विक समागम में 182 से अधिक देशों के लाखों प्रतिभागी प्रत्यक्ष और डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। यह महा-आयोजन राजनेताओं, किसानों, छात्रों, गृहिणियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों समेत समाज के हर वर्ग को एक अनूठे मंच पर लाएगा। इस भव्य समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्तव्य देंगे और नवनिर्मित 'ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो ध्यान प्रेमियों के लिए एक विशेष केंद्र होगा। इसके साथ ही, पीएम मोदी राष्ट्रव्यापी स्तर पर कई नई सेवा पहलों का भी शुभारंभ करेंगे।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

सुवेंदु अधिकारी के पीए की रहस्यमयी हत्या

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर पश्चिम बंगाल के साथ-साथ सारे देश में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद टीएमसी के कार्यालयों पर हमले शुरू हो गए। बड़े स्तर पर अनेक लोगों पर हमले हुए, जिसके चलते अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मरने की खबरें सामने आईं हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और वीर भूमि में भारी हिंसा हुई। टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। उनके कार्यकर्ताओं की हत्या भी की गई। इसको लेकर राजनीति गरमा गई है। इसी बीच भाजपा के मुख्यमंत्री पद के संभावित नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने का तरीका किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। सड़क पर पहले कार को ओवरटेक कर रोका जाता है, फिर दो पहिया वाहने से हत्यारे आते हैं और गोलियां बरसा कर चले जाते हैं। इस हत्या को लेकर तरह-तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को जिन अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी उन्हें लेकर भाजपा ने आरोप लगाया कि वे टीएमसी के थे। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी के गुंडो ने रथ की हत्या की है। इससे पहले टीएमसी इस हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में अब टीएमसी भाजपा के ऊपर उल्टा आरोप लगा रही है। उसका आरोप है, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी के कार्यालय को तोड़ा गया, उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया, उससे बचने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही भाजपा यह आरोप लगा रही है। टीएमसी के नेताओं का तो यहां तक आरोप है, कि चंद्रनाथ रथ की हत्या स्वयं बीजेपी के द्वारा कराई गई है। दरअसल रथ के पास कई ऐसे राज थे, जिससे आगे चलकर खासी परेशानी खड़ी हो सकती थी। उन राजों को छिपाने के लिए ही चंद्रनाथ रथ की हत्या कराई गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ना तो उससे कोई सीधा विरोध था ना ही वह किसी विवाद में शामिल थे। ऐसी स्थिति में यदि उसकी हत्या हुई है तो इसमें कोई ना कोई राज तो है, जिसे छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई है।

हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो हमलावर थे वह बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ भागे थे। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि भाड़े के हत्यारे बांग्लादेश से बुलाए गए थे और उन्हीं के द्वारा यह हत्या कराई गई है। ताकि हमेशा, हमेशा के लिए चंद्रनाथ रथ के पास जो राज थे उसके सीने में ही दफन होकर रह जाएं और वह कभी उजागर ना हो सकें। बहरहाल जब से चुनाव अधिसूचना जारी हुई है, उसके बाद से संपूर्ण शासन-प्रशासन और हर गतिविधि में ममता सरकार या टीएमसी का कोई लेना-देना नहीं है। टीएमसी का आरोप है, जब लाखों की संख्या में अर्धसैनिक बलों को लाकर पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है, वही सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

नई आहट: जापान ने फिलीपींस पर दागी मिसाइल, भड़क उठा चीन

टोक्यो। दक्षिण चीन सागर के सामरिक जलक्षेत्र में बुधवार को एक ऐसी सैन्य घटना घटी जिसने पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कूटनीतिक और सुरक्षा गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। फिलीपींस और अमेरिका के बीच चल रहे वार्षिक बालिकातन युद्धाभ्यास के दौरान जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स ने अपनी टायप 88 एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने फिलीपींस के एक पुराने युद्धपोत को कुछ ही मिनटों में निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। चीन ने इस मिसाइल परीक्षण पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग ने इसे पिछले 80 वर्षों में जापान द्वारा किया गया पहला ऑफेंसिव मिसाइल टेस्ट करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान पर नियो-मिलिटेरिज्म (नया सैन्यवाद) को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी और रक्षात्मक नीति से एक खतरनाक विचलन है। चीन के अनुसार, जापान का दोबारा सैन्य शक्ति बढ़ाना एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह सैन्य अभ्यास फिलीपींस के उत्तरी इलाके पाओय के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर आयोजित किया गया, जो सीधे दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक नियमित अभ्यास नहीं, बल्कि बीजिंग के लिए एक सीधा संदेश है। जिस क्षेत्र में यह मिसाइल दागी गई, वहां चीन लंबे समय से अपना दावा पेश करता रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग, अब ममता बनर्जी नहीं रही मुख्यमंत्री

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत के बाद राज्य की राजनीति में संवैधानिक संकट जैसे हालात बन गए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में ममता बनर्जी सहित उनके कई वरिष्ठ मंत्री भी हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव "षड्यंत्र" और "दबाव" के बीच कराए गए। उन्होंने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। कालीघाट स्थित आवास पर तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को "काला दिन" बताया। उन्होंने पार्टी विधायकों से विरोध स्वरूप काला कपड़ा पहनने की अपील भी की। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का विश्वास आवश्यक होता है। ऐसे में बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। यदि इस्तीफा नहीं दिया जाता, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इधर, नई सरकार के शपथ ग्रहण तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी चर्चा चल रही है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्यपाल अंतरिम व्यवस्था के तहत सीमित अवधि के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

चुनाव बाद 5 राज्यों से हटाई गई आदर्श आचार संहिता, पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर जारी रहेगी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के बाद गुरुवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की घोषणा की है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल की 144-फलता विधानसभा सीट पर आयोग द्वारा पुनर्मतदान का आदेश दिए जाने के कारण वहां आचार संहिता प्रभावी रहेगी। चुनाव आयोग ने यह आदेश कैबिनेट सचिव, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू होने वाली आचार संहिता चुनाव

प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। आदेश में कहा गया, "अब, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए 2026 के आम चुनावों और गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा त्रिपुरा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

ईरान के साथ अब समझौता संभव : ट्रंप

एजेंसी। वाशिंगटन/बीजिंग

अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संदेशों का आदान प्रदान तेज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। अब यह पूरी तरह संभव है कि हम कोई समझौता कर लें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि तेहरान ने अभी तक वाशिंगटन के ताजा प्रस्ताव पर कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए कूटनीतिक संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। इस बीच ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को रोक दिया है। उधर, ईरान के विदेशमंत्री चीन पहुंचे हैं। वहां उन्होंने इस समझौते के संबंध में बातचीत की है। अल जजीरा, सीबीएस न्यूज और तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में एक सवाल पर कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन समझौता जरूर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को आमने-सामने की बातचीत के लिए ईरान भेजना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द से जल्द समझौता करना चाहता। ट्रंप ने दोहराया कि अगर अमेरिका अभी ईरान को छोड़ देता है, तो उसे दोबारा खड़ा होने में 20 साल लग जाएंगे। उनका मानना है कि ईरान पतन के कगार पर है। वह हार मानने को तैयार है। ट्रंप ने स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने और तेल की कीमतों के नीचे आने की बात की।उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध का जितना असर ईरान पर पड़ रहा है, उतना ही आर्थिक असर अमेरिका में भी पड़ रहा है। उधर, ईरान के शीर्ष राजनयिक ने बुधवार को बीजिंग में अपने समकक्ष वांग यी सहित चीन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। वांग ने चीन को ईरान का एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया है। वांग ने अमेरिका-इजराइल की एकीकृत सैन्य कार्रवाई और युद्ध की निंदा की। चीन के विदेशमंत्री ने लड़ाई को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और संघर्ष के फिर से शुरू होने के प्रति आगाह किया।

31.61 लाख रुपये मूल्य के नकली 'अल्कलाइन वाटर' जब्त

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय ने एक उपभोक्ता शिकायत के आधार पर 'अल्कलाइन वाटर' निर्माता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत एफएसएसएआई ने लगभग 31.61 लाख रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई शुरू की। प्रयोगशाला जांच में उत्पाद में फुल्विक एसिड की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जो वर्तमान एफएसएसएआई नियमों के अनुरूप नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि यह तत्व काले खनिज पदार्थ मिलाने से उत्पन्न हुआ था और पानी में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं था, जो सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। एफएसएसएआई ने बताया कि यह शिकायत फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) द्वारा शिकायतों का समाधान न करने की बात सामने आई थी। इसके बाद गुजरात के वडोदरा जिले के सावली स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया।

10 मई को केरल सीएम का ऐलान कर सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे

एजेंसी। नई दिल्ली

केरल में कांग्रेस की जीत के बाद सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 मई रविवार को केरल के सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। विधायकों की बैठक में एक-लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ। केरल के सीएम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने गुरुवार को कहा कि केरल में चल रही कांग्रेस विधायक दल की प्रक्रिया पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाती है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी पर भी कोई फ़ैसला थोपा नहीं जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायक दल की बैठक और विधायकों के साथ विचार-विमर्श के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों और सीनियर नेताओं से मिली राय पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद पार्टी आलाकमान सीएम पद के उम्मीदवार पर अंतिम फ़ैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर केरल में वी डी सतीशन को सीएम पद का चेहरा नहीं चुना जाता है, तो वे कड़ा रुख अपना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सतीशन ने फैसला किया है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है, तो वे सिर्फ़ विधायक बने रहेंगे और शायद नई सरकार का हिस्सा न बनने का विकल्प चुन सकते हैं।

राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण दें तो विधानसभा में बहुमत साबित करुंगा: विजय

राज्यपाल ने फिर खाली हाथ लौटाया

एजेंसी। चेन्नई

अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय ने गुरुवार सुबह आर वी अर्लेकर से मुलाकात की। यह मुलाकात राजभवन को यह समझाने का एक नया प्रयास था कि तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने के लिए तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को जरुरी समर्थन हासिल है। यह मुलाकात विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुई है, जिसमें पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है तो वे विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि यदि राज्यपाल उनके नए दावे पर विचार करने से इनकार करते हैं तो पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। बुधवार को विजय का सीएम पद पर दावा पेश करने का पहला प्रयास विफल रहा, क्योंकि राज्यपाल ने गठबंधन की संख्या बल पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले टीवीके प्रमुख विजय के बुधवार दोपहर को सीएम पद की शपथ लेने की उम्मीद थी, लेकिन बहुमत के समर्थन को लेकर सवाल अनसुलझे रहने के कारण शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण जारी करने से पहले विजय से विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण देने पर जोर दिया।

राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर वीर जवानों को किया नमन

एजेंसी। नई दिल्ली

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' आतंकवाद तथा भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती देने वाली शक्तियों के खिलाफ देश के अडिग संकल्प का प्रमाण है। इस मिशन की असाधारण सफलता भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। पहलगाम में हुए क्रूर हमले का जवाब "उचित और अनुकरणीय सटीकता" के साथ दिया गया तथा भारत अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सदैव तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को भारतीय सेना के असाधारण शौर्य का प्रतीक बताते हुए जवानों और अधिकारियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद के विरुद्ध भारत का साहसिक और सक्रिय प्रतिशोध था, जिसने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंक के हर स्वरूप के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी इस अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत का एक युगांतरकारी मिशन है, जो दुश्मनों को भारतीय सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाता रहेगा। इतिहास इस दिन को भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई, खुफिया एजेंसियों की सूक्ष्म रणनीति और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के रूप में याद रखेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान दुश्मनों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे कहीं भी छिप जाएं, भारत की नजर और प्रहार से बच नहीं सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और लोगों पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया।

चुनाव के बाद बंगाल में टकराव

संदेशखाली में सुरक्षाबलों पर फायरिंग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। तृणमूल कांग्रेस (ज्जरूष्ट) ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों ने 'परिबर्तन (बदलाव) के नाम पर कई जगहों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के पास दुकानों में तोड़फोड़ और ज्जरूष्ट के दफ्तर पर हमले की खबरें सामने आई हैं। भाजपा जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उसके विपरीत राज्य में डर और हिंसा का माहौल बन रहा है। पार्टी ने इन घटनाओं को जीत का जश्न नहीं, बल्कि 'आतंक करार दिया है। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। पार्टी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिल गई है, जिसके कारण वे सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनाओं के बाद राज्य की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। विपक्ष का कहना है कि स्थिति और गंभीर हो सकती है, जहां फिलहाल दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं आगे आम लोगों और राजनीतिक विरोधियों पर खतरा बढ़ सकता है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

रिश्वतखोरी के मामले में सीजीएसटी अधीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मेरठ में रिश्वतखोरी के एक मामले में सीजीएसटी अधीक्षक संजय मीना और उनके कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि शिकायतकर्ता को जारी शो कॉज नोटिस रद्द करने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने 6 मई को मामला दर्ज किया था। आरोपों के अनुसार, अधीक्षक के कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने अधीक्षक संजय मीना की ओर से शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर यश शर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि रिश्वत की रकम अधीक्षक के लिए मांगी जा रही थी। सीबीआई ने बताया कि अधीक्षक संजय मीना और कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अन्य संबंधित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री पर भाजपा ने लगाया राष्ट्र विरोधी ताकतों के संरक्षण का आरोप

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तरुण चुघ ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पंजाब धमाकों में भगवंत मान ने भाजपा पर आरोप मढ़ कर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर दिया। बिना किसी सबूत के भाजपा पर बम धमाकों का आरोप लगा कर झूठी जानकारी फैलाना आपराधिक श्रेणी में आता है। चुग ने कहा कि भगवंत मान का बयान उनके अपने पुलिस महानिदेशक के बयान के विपरीत है। जहां पंजाब पुलिस आईएसआई और विदेशी नेटवर्क की संलिप्तता की बात कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री राजनीतिक एजेंडा चलाने में व्यस्त हैं। सवाल साफ है- मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा कर रहे हैं या राष्ट्रविरोधी ताकतों को राजनीतिक कवर दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि भगवंत मान का यह बयान न केवल मानहानिकारक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। ऐसे गैर-जिम्मेदार आरोप पंजाब में भ्रम, अविश्वास और सामाजिक अशांति पैदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 7 दिनों के भीतर भगवंत मान बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर जल्द फैसला करने से संबंधित केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। इस मामले के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अस्वस्थ होने की वजह से आज की सुनवाई टाली गई। कोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को दो बार प्रतिवेदन दिया था लेकिन केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को उच्चतम न्यायालय में उठा चुके हैं। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि वो रामसेतु को नहीं हटाएगा। केंद्र ने कहा था कि हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे। याचिका में कहा गया है कि रामसेतु का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

उपराज्यपाल ने डीडीए के 1,647 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक समारोह में 1,647 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें 26 पदों पर 1,647 नवनियुक्त कर्मचारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण के कर्मचारियों की संख्या में लगभग 55 फीसद की वृद्धि हुई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि ये नए कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी के विकास और भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के संरक्षक हैं। यह पहल रोजगार सृजन और शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने पर केंद्रित विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ये युवा कर्मचारी साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में 'अमृत काल' के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपराज्यपाल ने डीडीए के नए सदस्यों से सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संस्थागत विश्वसनीयता को और मजबूत करेगी और एक आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगी।

शशि थरूर ने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरुर ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच कल यानी आठ मई को सुनवाई करेगी। शशि थरुर ने अपनी याचिका में उनके नाम, उनकी पसंद, फोटो और उनसे जुड़े कंटेंट का बिना उनकी अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की है। शशि थरुर ने कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शशि थरुर ने इन कंटेंट को हटाने की मांग की है। शशि थरुर ने कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर किया है, जिनमें कई अनाम प्रतिवादियों भी शामिल हैं। इसके पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

धार्मिक रीति-रिवाजों को चुनौती देने का धर्म और समाज पर पड़ेगा असर : सुप्रीम कोर्ट

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई के 13वें दिन गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को कोर्ट में चुनौती देने लगेंगे, तो इससे धर्म और समाज पर असर पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान बेंच ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हमारा समाज धर्म से गहराई से जुड़ा है। ऐसे में अगर हर व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाएगा तो भारतीय समाज पर असर पड़ेगा। सुधारवादियों के एक समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक कामों के जवाब में किया गया कोई भी काम संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का विषय नहीं हो सकता है और इसलिए अनुच्छेद 26 के तहत धर्म का मामला नहीं हो सकता। उनकी इसी दलील पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोर्ट को जो बात परेशान करती है, वह मुश्किल सवाल है कि धार्मिक रीति-रिवाजों को कैसे चुनौती दी जाती है। क्या सुधार पंथों के अंदर होना चाहिए या सरकारों के दखल से या कोर्ट के फैसले से। छह मई को कोर्ट ने उस तरीके पर सवाल उठाया था, जिसमें सुधारवादियों के एक समूह ने उच्चतम न्यायालय के 1962 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित बहिष्कार की परंपरा को सही ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा था कि उस फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका कानूनसम्मत नहीं है। 5 मई को कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को फटकार लगाते हुए उसकी 2006 की याचिका को कानून का दुरूपयोग बताया था। कोर्ट ने पूछा था कि आपने यह याचिका क्यों दायर की, क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजे मसीह, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर, 2018 को 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है। महिला पुरुष से कमतर नहीं है। एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है।

कुलपति ने किया एनसीसी और एनएसएस वालेंटियर्स को किया सम्मानित

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पहले साहित्य महोत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) वालेंटियर्स द्वारा सराहनीय भूमिका निभाने पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव को डिजाइन किया तो यह बिल्कुल नया था। लेकिन वह अपने आप में एक सफल आयोजन साबित हुआ और डीयूएलएफ की उस सक्सेस स्टोरी में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। कुलपति ने विद्यार्थियों से कहा कि आप थे तो हम निश्चिंत थे। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस का संयोजन बहुत अच्छा रहा और सबने मिलकर अच्छे से कम किया। कुलपति ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस मनों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ये दोनों संगठन सेवा, करुणा और समर्पण का भाव पैदा करते हैं। इससे नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं होता, जब कोई गिरता है और उसे उठाने के लिए जो हाथ बढ़ता है वह नेतृत्व का हाथ होता है। कुलपति ने कहा कि बच्चों में नेतृत्व और देशभक्ति का भाव जरूरी है, इसकी देश को बहुत आवश्यकता है। इस अवसर पर डीयू लिट फेस्ट में एनसीसी और एनएसएस के योगदान पर एक बुकलेट का विमोचन भी किया गया। कुलपति ने फेस्ट रजिस्ट्रेशन कमेटी मेंबरों और कॉर्डिनेटरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी और रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता सहित अनेकों शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए कानून नहीं बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को इस बात पर चिंता जताई कि देश की सरकारों ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून नहीं बनाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि संसद ने बरनवाल फैसले के पहले कोई कानून क्यों नहीं बनाया। दरअसल, 2023 में अनूप बरनवाल के फैसले में ही उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस को शामिल करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि बरनवाल फैसले के पहले संसद ने कानून क्यों नहीं बनाया, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हर सरकार ने कानून नहीं होने का लाभ उठाया। इसी वजह से सरकारें इसका दुरुपयोग करती रही हैं। जब लोग विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जब सत्ता में होते हैं, तो इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं। छह मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वकील विजय हंसारिया से पूछा था कि क्या कोर्ट संसद को ये निर्देश दे सकती है कि वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को भी शामिल करने के लिए कानून बनाएं। कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है। तब हंसारिया ने कहा था कि कोर्ट किसी भी कानून का संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत परीक्षण कर सकता है। इस मामले में एडीआर के अलावा एक याचिका जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में चयन समिति में चीफ जस्टिस को भी रखने की मांग की गई है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने भी याचिका दायर कर रखी है। याचिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरुरी है। उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च, 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस के बजाय सरकार का एक कैबिनेट मंत्री शामिल कर दिया था।

हनी सिंह ने हाई कोर्ट को बताया, मार्च 2025 में हुए कॉन्सर्ट में 'वॉल्यूम 1' गाना नहीं गाया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर हनी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने 'वॉल्यूम 1' नामक गीत 01 मार्च 2025 को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में हुए कॉन्सर्ट के दौरान नहीं गाया था। इस सूचना के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने हनी सिंह को इस संबंध में हलफनामा देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।सुनवाई के दौरान गुरुवार को हनी सिंह की ओर से पेश वकील राजशेखर राव ने कहा कि ये कलंक खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की कोर्ट में भी एक केस दर्ज कराया गया है जिसमें हनी सिंह ने कहा है कि उन्होंने गाना नहीं गाया था। तब कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि 01 मार्च 2025 को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में ये गाना गाया गया था। तब राजशेखर राव ने कहा कि ऐसा इवेंट हुआ ही नहीं था। तब कोर्ट ने कहा कि आप इस संबंध में हलफनामा दाखिल कीजिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को इस गीत को सभी प्लेटफार्म्स से हटाने का आदेश दिया था। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा था कि उन्होंने यह गाना सुना और यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जिसने अदालत की अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया समेत सभी प्लेटफार्म्स को निर्देश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि गाने का अंश भी किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न हो। कोर्ट ने कहा था कि ये गाना अश्लील है और ये महिलाओं के लिए अपमानजनक है। गाने में महिलाओं को एक वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है। इस गाने में कोई कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सभ्य समाज इस गाने को डिजिटल प्लेटफार्म पर चलने की अनुमति नहीं दे सकता है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा था कि हाल ही में उन्होंने एक कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह के गाने के कुछ हिस्से को सुना। उसके बाद कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह को नोटिस जारी किया था और उन्हें ये गाना हर प्लेटफार्म से हटाने का आदेश दिया। याचिका हिन्दू शक्ति दल नामक संगठन ने दायर की थी। वॉल्यूम 1 एक विवादित गाना है जिसे हनी सिंह ने दो दशक पहले रिलीज किया था। इस गाने से काफी लोकप्रियता हासिल की थी लेकिन महिलाओं को लेकर इस गाने के खिलाफ विरोध भी हुआ था। इस गाने के खिलाफ कई स्थानों पर शिकायतें भी दर्ज करायी गई थीं।

केंद्रीय संचार मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नेहरू प्लेस में नवीनीकृत डाकघर का किया उद्घाटन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नेहरू प्लेस में नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन, विकास और विरासत के साथ अब डाक विभाग आधुनिक तकनीक के साथ लोगों की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि डाक विभाग का दशकों पुराना भरोसा अब आधुनिक भारत में हर एक तंत्र के साथ जुड़कर काम करेगा।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डाक विभाग ने तकनीक के साथ स्वयं को नए दौर के अनुरूप विकसित किया है। यह नया डाकघर नागरिकों को तेज, सरल और आधुनिक सेवाओं का बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। आज डाकघर केवल पत्र सेवा तक सीमित नहीं बल्कि पार्सल, बैंकिंग, बीमा, आधार और पासपोर्ट जैसी अनेक सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा का सशक्त केंद्र बन चुके हैं। इस अवसर पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, विधायक शिखा राय भी मौजूद रहे।

दिल्ली के द्वारका में 805.99 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा : मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल की स्थापना करने जा रही है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 805.99 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2028 तक रखा गया है।मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज के साथ छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल, फैकल्टी आवास और एक आधुनिक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली में डॉक्टरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे यहां प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रारंभिक चरण में 150 छात्रों के साथ शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में अकादमिक ब्लॉक, छात्रों के हॉस्टल और शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 1,17,246 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण होगा। इसमें लगभग 34,000 वर्गमीटर का बेसमेंट बनाया जाएगा, जहां पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी। अकादमिक ब्लॉक बहुमंजिला होगा, जिसमें क्लासरूम, लैब और अन्य आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हॉस्टलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी, जबकि फैकल्टी के लिए भी आधुनिक और सुविधाजनक आवास तैयार किए जाएंगे। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा के सख्ती से पालन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद, स्टाफ की नियुक्ति, विश्वविद्यालय से संबद्धता और अन्य व्यवस्थाएं एनएमसी के मानकों के अनुरूप आगामी चरण में पूरी की जाएंगी।

भारत के लिए महज कूटनीतिक साझेदार नहीं, 'परिवार' है सूरीनामः जयशंकर

लोकतंत्र की शान

पारामारिबो। अपनी पहली आधिकारिक सूरीनाम यात्रा पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पारामारिबो पहुंचे। उन्होंने सूरीनाम की राष्ट्रपति जेनिफर गियरलिंग्स-सीमन्स से मुलाकात की और अपने समकक्ष विदेश मंत्री मेल्विन बौवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। जयशंकर ने सूरीनाम को केवल एक कूटनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि 'परिवार' बताया। उन्होंने 1873 में 'लल्ला रुक्ख' जहाज से भारतीयों के सूरीनाम आगमन और वहां की 'गिरमिटिया' विरासत के गहरे संबंधों पर जोर दिया। यह उनकी 2 से 10 मई तक चलने वाली तीन देशों (जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो) की यात्रा का दूसरा चरण है। यह यात्रा भारत और सूरीनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है, जो 'ग्लोबल साउथ' के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जयशंकर ने भारत-सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा के लिए 9वीं संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) की अध्यक्षता की। चर्चा में व्यापार, निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचा, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल रहे। इस दौरान भारत ने सूरीनाम की सेना और पुलिस की क्षमता निर्माण में सहयोग देने और उनकी रक्षा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा सूरीनाम की राष्ट्रपति जेनिफर गीरलिंग्स-साइमन्स से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भारत की ओर से सूरीनाम की सरकार और वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमारे दोनों देश भारत-सूरीनाम के गहरे और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेसीएम के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा हमने व्यापार, डिजिटल और निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। हमें पूरा भरोसा है कि आज हमारी चर्चाओं के जो नतीजे निकले हैं, उनसे हमारे संबंध और भी गहरे और विविध होंगे। उन्होंने भारतीय अनुदान से वित्तपोषित एक पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत ने सूरीनाम की विकास प्राथमिकताओं के लिए नई 'लाइन ऑफ क्रेडिट' देने की पेशकश की है। पूर्व में भारत ने यहां बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और जल पंपिंग स्टेशनों जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। भारत के यह कदम 'ग्लोबल साउथ' के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने मायरिनबर्ग में 'फालन हीरोज' स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सूरीनाम में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत भी की, जो वहां की आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा हैं। सूरीनाम के 'टाइम्स ऑफ सूरीनाम' अखबार में जयशंकर का एक आलेख भी छपा है, जिसमें उन्होंने इस देश को 'परिवार' बताते हुए बहुआयामी सहयोग के और गहरा होने की बात कही है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी यह बात साझा की कि भारत और सूरीनाम के बीच के 'सभ्यतागत संबंध' उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने सेना को किया सलाम, समीक्षा की मांग

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने देश की सेना को सलाम करते हुए सरकार से घटनाक्रम की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने के सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति गठित कर भविष्य के लिए सिफारिशें दी थीं, उसी तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा भी आवश्यक है। रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि इस अवसर पर हमें सशस्त्र बलों की उपलब्धियों को याद करना चाहिए और उन घटनाओं को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने इस अभियान को आकार दिया। 30 मई 2025 को सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया था कि शुरुआती दौर में टैक्टिकल गलतियों के कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में सुधार कर पाकिस्तान के भीतर तक सटीक हमले किए गए। इसी तरह 10 जून 2025 को जकार्ता में भारतीय दूतावास के डिफेंस अताशे ने बताया था कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय की गई सीमाओं के कारण भारत ने अपने विमान खो दिए थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारत के व्यापक कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान को वैसा अलग-थलग नहीं किया जा सका जैसा 2008 मुंबई हमले के बाद हुआ था। इसके विपरीत, जून 2025 से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा असाधारण गर्मजोशी से अपनाया गया और अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान ने भी पाकिस्तान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि सरकार घटनाक्रम की समीक्षा कर देश को स्पष्ट दिशा दे सके।

संक्षिप्त समाचार

नजीबाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हनी फैसल का जोरदार स्वागत

लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद ,नजीबाबाद। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हनी फैसल के नजीबाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन मोअज्जम खान के आवास पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नगर के सम्मानित लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान हनी फैसल का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर उत्साह व्यक्त किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि हनी फैसल के नेतृत्व में जनपद में समाजवादी पार्टी और अधिक मजबूत होगी तथा आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हनी फैसल ने सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज उठाती रही है और आगे भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। पूर्व चेयरमैन मोअज्जम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है और कार्यकर्ताओं का उत्साह यह साबित करता है कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा नेता, व्यापारी और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर/ गंगेश्वरी: गुरुवार को भारतीय किसान संघ की विकासखंड गंगेश्वरी की मासिक बैठक पंचायत घर रहरा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई तथा बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में ग्राम विकास अधिकारी कृपाल सिंह को सौपा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि सहकारी समितियां द्वारा वसूला जा रहा 7% का ब्याज रद्द कर 3% ब्याज ही लिया जाए तथा बाकी चार परसेंट का ब्याज वापस किया जाए, साथ ही गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र में हर घर जल योजना के अंतर्गत लगाई गई टंकियां सफेद हाथी की तरह खड़ी है जिन्हें तत्काल चालू कराया जाए, साथ ही लेखपालो द्वारा गलत अंश निर्धारण किए गए हैं जिन्हें गांवो मे कैंप लगाकर दुरुस्त कराया जाए एवं आवारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं को पड़कर गौशाला भिजवाया जाए साथ ही विकासखंड गंगेश्वरी के विभिन्न ग्रामों में नियमित सफाई नहीं हो रही है तथा सफाई कर्मियों को लगाकर नियमित सफाई कराई जाए एवं मच्छरों व अन्य बीमारियों को रोकने के लिए कीटनाशक दावों का छिड़काव कराया जाए, इस मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष डॉ शिवचरण सिंह सैनी, जिला प्रचार प्रमुख अखिलेश शर्मा, जिला जैविक प्रमुख हरि प्रकाश राणा एडवोकेट, ब्लॉक अध्यक्ष दिव्यांशु यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष कुमार पाल सिंह राणा, मुकेश कुमार शर्मा, नन्हे सिंह सैनी, अमित कुमार, शिव कुमार, संजय सिंह, राधेश्याम राणा आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बरेलीः 8 मई को चौकी चौराहे पर सांकेतिक धरना देंगे चर्चित पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, गन्ना भुगतान न होने पर किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे

लोकतंत्र की शान ,(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश)बरेली, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार 8 मई को बरेली में सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने चौकी चौराहे पर सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि नवाबगंज शुगर मिल पर 72 करोड़ और बहेड़ी चीनी मिल पर 138 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

डंडा और समाजवादी झंडे के साथ अकेले धरने पर निकलेंगे भगवत सरन–पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने कहा कि किसान लंबे समय से अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन मिल प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं डंडा और समाजवादी झंडे के साथ घर से अकेले धरना देने निकलूंगा। गंगवार ने बताया कि यह धरना सांकेतिक होगा, लेकिन अगर भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि गन्ना किसानों की मेहनत का पैसा मिलों में अटका हुआ है, जबकि किसान कर्ज और खेती के खर्च में दबे हैं।धरने के बाद कमिश्नर को सौंपा जाएगा ज्ञापन, मिलों पर बकाया करोड़ों में पूर्व मंत्री ने कहा कि धरने के बाद वह कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल भुगतान की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलों की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता से किसान परेशान हैं। नवाबगंज शुगर मिल पर 72 करोड़ और बहेड़ी चीनी मिल पर 138 करोड़ रुपये का बकाया है। भगवत सरन गंगवार ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो किसान आंदोलन व्यापक रूप लेगा।

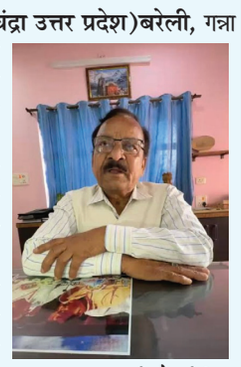

देश दहलाने वाले मुंबई धमाकों में नजीबाबाद कनेक्शन पर कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनते हुवे सजा का ऐलान

नजीबाबाद 32 साल बाद आया फैसलाः मुंबई धमाकों से जुड़े गोसाबारा आरडीएक्स केस में नजीबाबाद कनेक्शन पर कोर्ट सख्त

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

बिजनौर : बिजनौर के पांच दोषियों को सजा, हथियार और विस्फोटक मुंबई पहुंचाने में निभाई थी अहम भूमिका देश को दहला देने वाले 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट से जुड़े चर्चित गोसाबारा आरडीएक्स लैंडिंग केस में आखिरकार 32 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जामनगर की विशेष टाडा कोर्ट ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है, जबकि 17 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद एक बार फिर नजीबाबाद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस केस में बिजनौर जनपद के नजीबाबाद क्षेत्र के पांच लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह वही मामला है, जिसमें पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए गुजरात के गोसाबारा तट पर आरडीएक्स, एके-47 राइफलें और भारी मात्रा में हथियार उतारे गए थे। बाद में इन्हीं हथियारों और विस्फोटकों को अलग-अलग माध्यमों से मुंबई पहुंचाया गया, जहां 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में इनका इस्तेमाल हुआ था। इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी।

नजीबाबाद से जुड़ी थी सप्लाई चेन–जांच में सामने आया कि नजीबाबाद क्षेत्र के कुछ लोगों ने हथियारों को छिपाने, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और संपर्क स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों के अनुसार गांव कढ़ली निवासी कदीर लंबे समय तक मुंबई में रह चुका था और वहीं से उसका संपर्क अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़ा। बाद में उसका नेटवर्क गुजरात तक फैल गया। एटीएस और गुजरात पुलिस की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ कि कई आरोपी वर्षों तक नाम और पहचान बदलकर अलग-अलग राज्यों में छिपे रहे। कुछ आरोपी बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी लगातार आते-जाते रहे, जिससे जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले।

पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ बड़ा खुलासा–पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों ने स्थानीय पहचान और गांव के माहौल का फायदा उठाकर खुद को सामान्य व्यक्ति की तरह पेश किया। कई वर्षों तक एजेंसियां इनके नेटवर्क तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकीं। बाद में मोबाइल लोकेशन, पुराने संपर्क और गवाहों के आधार पर केस की कड़ियां जुड़ती चली गईं। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी पहले भी अन्य मामलों में जेल जा चुके थे, लेकिन इस केस में उनकी भूमिका सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया।

तीन दशक तक चलता रहा मुकदमा–यह मामला करीब 32 वर्षों तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान कई गवाह बदले, कई आरोपी फरार रहे और कुछ की मौत भी हो गई। कोर्ट ने हजारों पन्नों के दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। विशेष टाडा कोर्ट ने साफ कहा कि देश विरोधी साजिश में शामिल लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। अदालत ने दोषियों को पांच से सात साल तक की सजा सुनाई है।

एक बार फिर चर्चा में आया नजीबाबाद–इस फैसले के बाद नजीबाबाद का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है। बुजुर्गों का कहना है कि 1993 के बाद पहली बार इस केस से जुड़ा इतना बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने पुराने घटनाक्रम को फिर ताजा कर दिया।

क्या था गोसाबारा आरडीएक्स लैंडिंग केस? 1993 में पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए गुजरात के गोसाबारा बंदरगाह पर हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप उतारी गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का नेटवर्क सक्रिय था। बाद में यही विस्फोटक मुंबई पहुंचाए गए और 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाकों में इस्तेमाल किए गए। इन धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनगणना-2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

लखनऊः– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 'हमारी जनगणना, हमारा विकास' की भावना के साथ मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। आज का युग डेटा आधारित निर्णयों का है और जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना यह सुनिश्चित करने का माध्यम है कि विकास की धारा में समाज का अंतिम व्यक्ति भी समान रूप से सहभागी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित कार्य संपादित होंगे। आमजन को 07 मई से 21 मई, 2026 तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर-घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जातीय गणना को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही पहली बार वन ग्रामों को भी जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।

मछली बाजार शाखा अध्यक्ष बने शाहबाज अंसारी, व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा बुधवार को मछली बाजार स्थित रॉयल जिम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ ने रॉयल जिम संचालक शाहबाज अंसारी को मछली बाजार शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। इस दौरान व्यापारियों ने फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें मनोनयन प्रमाण पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ का व्यापारियों एवं संगठन से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर कपिल सर्राफ ने कहा कि शाहबाज अंसारी समाजसेवा के कार्यों में हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और पीड़ितों की आवाज उठाने में भी अग्रणी रहते हैं। उन्होंने कहा कि शाहबाज अंसारी के संगठन से जुड़ने से व्यापार संगठन को नई मजबूती मिलेगी और मछली बाजार के व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्व्यवहार या अन्य घटना होती है, तो संगठन पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहेगा। शाहबाज अंसारी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नवनियुक्त शाखा अध्यक्ष शाहबाज अंसारी ने जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ एवं संगठन की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और हर व्यापारी के सुख-दुख में वह कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में इकबाल अहमद, सलीम अहमद, धीरज झा, अरमान, अरबाज, अनवर, नायाब आलम, शहजाद कसाब सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद

बरेली मे भाजपा पर जमकर बरसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बोले- चुनाव आयोग सरकार का खिलौना

लोकतंत्र की शान

(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश) बरेली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार, चुनाव आयोग, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है।प्रेस वार्ता के दौरान सिद्दीकी ने शायरी पढ़ते हुए कहा, "दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है।" उन्होंने कहा कि आज जनता खुद को असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रही है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल–नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार का "खिलौना" बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में 95 प्रतिशत तक मतदान दिखाया गया, जबकि नियमों के अनुसार इतनी अधिक वोटिंग होने पर दोबारा मतदान कराने की जरूरत पड़ती है।

महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा–सपा नेता ने कहा कि प्रदेश और देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। उज्ज्वला योजना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "एक महिला सिर पर सिलेंडर रखकर घूमती थीं, आज वो दिखाई नहीं देतीं।" उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खाद की बोरी का उदाहरण देते हुए सिद्दीकी बोले कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को 50 किलो खाद की बोरी मिलती थी, जिसे पहले 45 और अब 40 किलो कर दिया गया है, जबकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी सभी परेशान हैं, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार में लगी हुई है।

आंखों के ऑपरेशन के टांके दिखाकर बोले- जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा–प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आंखों का चश्मा उतारकर ऑपरेशन के टांके भी दिखाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वह घर पर बैठने वालों में नहीं हैं। सिद्दीकी ने कहा कि जब तक जनता पर "जुल्म" होता रहेगा, तब तक वह संघर्ष करते रहेंगे।

2027 में सपा सरकार बनाने का दावा–सिद्दीकी ने कहा कि वह प्रदेश के करीब 50 जिलों का दौरा कर चुके हैं और हर जगह बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया जाएगा। सपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी जनता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है।

श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन महारास एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा वाचिका पूज्या सिद्धि पूनम जी ने महारास में महादेव का गोपी बनकर आने का वर्णन तथा श्याम और बलराम का मथुरा पहुंचने का वर्णन किया, एवं कुवलियां पीड़ हाथी, चाणुर मुस्टिक आदि पहलवानों और कंस का उद्धार, गोपी उद्धो संवाद, द्वारिका निर्माण और श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह आदि का प्रसंग बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया, जिसे सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए वहीं कथा पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु गण मौजूद रहे साथ ही विभिन्न झांकियां ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, कथा समाप्ति के उपरांत आरती की गई एवं प्रसाद का वितरण किया गया, इस मौके पर मुख्य रूप से संदीप अग्रवाल मेडिकल वाले, पुनीत अग्रवाल, पंडित महेश शर्मा, राजू शर्मा, सतवीर गिरी, पप्पू गिरी, देवेंद्र शास्त्री, संजीव शर्मा, उमेश शर्मा, दामोदर शर्मा, आंचल अग्रवाल, कविता शर्मा, प्रियंका अग्रवाल, वेद प्रकाश यादव, विकास यादव आदि सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे।

किशोर की सकुशल बरामदगी को लेकर कोतवाली गेट पर किया प्रदर्शन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बताते चलें कि नगर के मोहल्ला पूठ रोड काला शहीद निवासी लापता किशोर के परिजनों और मोहल्ले वासियों ने पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज होकर कोतवाली में जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि घर में रहने वाला किराएदार उनके 16 वर्षीय पुत्र को बहला-फुसलाकर ले गया है, जिसका 21 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर तीखी नोंक-झोंक हुई। दरअसल,मोहल्ला पूठ रोड निवासी नितेश पुत्र महावीर ने बताया कि उनके दूसरे मकान में बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी एक व्यक्ति किराए पर रहता था। आरोप है कि 16 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे उक्त किराएदार नितेश के 16 वर्षीय भाई चरन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने जब किराएदार से फोन पर संपर्क किया, तो उसने स्वीकार किया कि वह चरन को जयपुर ले गया है। हालांकि, जयपुर पहुँचने के बाद उसने परिजनों को सूचना दी कि किशोर कहीं लापता हो गया है। भाई को खोजने के लिए पीड़ित परिवार ने जयपुर में चार-पांच दिनों तक डेरा डाला और स्थानीय सांगानेर थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि अब आरोपी किराएदार उनका फोन उठाने से बच रहा है और पूछने पर गोल-मोल जवाब दे रहा है। पीड़ित पक्ष को अब किशोर के साथ किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। गुरूवार को पुलिस की शिथिलता से क्षुब्ध होकर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष कोतवाली पहुँच गए। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पुलिस कर्मियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी किराएदार से पूछताछ की जाएगी। जयपुर पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान सोनिया प्रजापति, रूपवती, विमल देवी, वीरा देवी, उषा देवी, सुमन देवी, कविता, पूसा देवी, कमलेश, राजेश्वरी, रजनी और आशा समेत दर्जनों महिलाएं एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

गांव-गांव पहुंच रहा आज़ाद समाज पार्टी का संदेश

» 2027 चुनाव से पहले नजीबाबाद में सक्रिय हुई राजनीति, ग्रामीणों का खुर्शीद मंसूरी को समर्थन

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नजीबाबाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में आज नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ज़फरपुर एवं करमसखेड़ी में जनसंपर्क एवं ग्रामीण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर क्षेत्र की समस्याओं और आने वाले चुनाव को लेकर खुलकर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने एकजुट होकर नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का ऐलान किया। लोगों ने कहा कि अब क्षेत्र की जनता पुराने वादों और झूठी घोषणाओं से ऊब चुकी है और इस बार नजीबाबाद में बदलाव की राजनीति को समर्थन दिया जाएगा। ग्रामीणों ने भावी विधानसभा प्रत्याशी खुर्शीद मंसूरी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए उन्हें विधानसभा भेजने का संकल्प लिया। गांववासियों का कहना था कि खुर्शीद मंसूरी लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं और हर वर्ग की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में नजीबाबाद को विकास की नई दिशा मिलेगी। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने पिछले करीब 15 वर्षों से बदहाल पड़ी सड़कों, जल निकासी, बिजली व्यवस्था और अन्य मूलभूत समस्याओं को भी सामने रखा। गांववासियों ने कहा कि कई बार शिकायतों और मांगों के बावजूद क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अब जनता सिर्फ वादे नहीं बल्कि ज़मीनी काम चाहती है। ग्रामीणों ने कहा कि आने वाला 2027 का चुनाव नजीबाबाद की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव साबित होगा। गांवों में जिस तरह लोगों का समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि क्षेत्र में बदलाव की लहर तेज होती जा रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान फरहत, आसिफ, पप्पू, तालिब, रईस, शमशाद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी समर्थक मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

मुजफ्फरपुर में होटल में युवती से रेप, प्रेमी गिरफ्तार, पीड़िता बोली- मिलने के बहाने बुलाया था

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में युवती से रेप का मामला सामने आया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के आर.एस. होटल एंड रेसीडेंसी में बुधवार रात युवती ने पुलिस को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद टीम ने उसे बचाया। मौके से आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया कि सिवाई पट्टी निवासी सुजीत कुमार से पिछले ढ़ाई साल से अफेयर चल रहा था। शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। सुजीत ने मिलने के बहाने बुलाया। मुझे अपनी पत्नी बताकर एक कमरा बुक गया। होटल के रजिस्टर में लिखा कि पत्नी के साथ आया हूं। कमरे के अंदर सुजीत ने मेरे साथ दरिंदगी की। विरोध करने पर प्रताड़ित किया। खुद को खतरे में पाकर किसी तरह से पुलिस को सूचना दी। अहियापुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल पर छापा मारा। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर सुरक्षित निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही कमरे को सील कर दिया, ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके। गुरुवार को पुलिस टीम फॉरेंसिक (FSL) विशेषज्ञों के साथ दोबारा होटल पहुंची। पीड़िता को भी शिनाख्त के लिए साथ ले जाया गया, जहां उसने पूरी बात बताई। कमरे से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं, जो जांच में सहायक होंगे। पुलिस ने होटल मालिक को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रेमी जोड़ों को कमरा देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बिना सही पहचान और संदेह होने पर सूचना न देना लापरवाही की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूर्ण विवरण होना अनिवार्य है। नगर एसडीपीओ विनीत सिंह ने बताया कि एक लड़की ने फोन करके बताया था कि होटल के कमरे में उसके साथ गलत काम किया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने युवती को सुरक्षित निकाला। आरोपी सुजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल चेकअप करा लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

'गर्लफ्रेंड ने कॉल करके बुलाया, फिर दोस्तों से पिटवाया', प्रेमी पर छेड़खानी का आरोप

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। "मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि एक बार आकर मिलो। उसके बुलाने पर ही मैं कॉलेज आया था, लेकिन यहां आने के बाद उसने अपने दोस्तों को बुला लिया और मेरे साथ मारपीट की। उसने मुझ पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाया और कॉलेज मैनेजमेंट से कहकर डायल-112 की टीम को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया।" यह कहना है पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र के मधुआ गांव निवासी रवि शंकर कुमार (25) का। सफाई में उन्होंने ये बातें कहीं। रवि शंकर कुमार पर आरोप है कि उसने एग्जाम हॉल में एक छात्रा पर जबरन शादी करने का दबाव बनाया। छात्रा के मना करने पर उसने गोली मारने की धमकी दी। हालांकि, रवि का कहना है, "हम दोनों का तीन साल से अफेयर था, लेकिन लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। मामला ललित नारायण तिरहुत (LNT) कॉलेज, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर से जुड़ा है। मंगलवार को कॉलेज में बीए फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम कॉलेज पहुंची और रवि शंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा का आरोप है, "मंगलवार को मैं कॉलेज में बीए फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रही थी। इसी दौरान आरोपी शिव शंकर अचानक परीक्षा हॉल में घुस आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन खींचकर मुझे बाहर ले जाने की कोशिश की। जब मैंने बाहर जाने से इनकार कर दिया, तो उसने मुझे एग्जाम हॉल में टेबल से नीचे गिरा दिया। एग्जाम सेंटर में मौजूद छात्र-छात्राएं पूरा घटनाक्रम देख रहे थे। जब मैं नीचे गिरी, तो स्टूडेंट्स मुझे बचाने आए और आरोपी शिव शंकर को पकड़ लिया।" छात्रा ने काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस को बताया, "आरोपी रवि शंकर कुमार मुझे पिछले तीन साल से परेशान कर रहा है। उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। इसके बाद वह एकतरफा प्यार में मुझ पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। जब मैंने इनकार किया, तो उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी।"

5 महीने पहले हुई थी शादी, हादसे ने छीनी जिंदगी, मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को रौंदा

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर है। इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव दास के बेटे मनीष कुमार(23) के रूप में हुई है। घटना बरूराज थाना क्षेत्र के मुरारापुर चौक के पास की है। मृतक के जीजा मनोज दास ने बताया, दोनों युवक बाइक से अपने घर लौट रहे थे। घर से 3 किलोमीटर पहले एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों में मनीष को मृत घोषित कर दिया। मनोज दास ने बताया, मनीष की शादी महज पांच महीने पहले ही हुई थी। 4 दिसंबर को शादी हुई थी। घर के लिए सामान खरीदकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मनीष परिवार का सहारा था और उसकी अचानक मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है।

अवैध संबंध, पैसों के विवाद में हुई नौशाद की हत्या

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में हुए 29 अप्रैल को हुई नौशाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पैसों के लेन-देन, बिजली कनेक्शन विवाद और अवैध संबंध के कारण नौशाद की हत्या की गई थी। घटना 29 अप्रैल की रात की है। 30 अप्रैल की सुबह पियर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर छपरा में मो. नौशाद आलम का शव उनकी मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (पूर्वी-02) ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मृतक की पत्नी नाजमी प्रवीण के आवेदन पर पियर थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण और एसडीपीओ (पूर्वी-02) के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों मोहम्मद सिराज, मोहम्मद असरफ और मोहम्मद सहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। ये सभी मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच मकान खरीद-बिक्री के पैसों के लेन-देन और बिजली कनेक्शन को लेकर पहले से विवाद था। इसके अलावा, मृतक का मुख्य आरोपी मो. सिराज की पत्नी के साथ अवैध संबंध भी था। इन्हीं कारणों से आरोपियों ने साजिश रचकर बिजली के तार से गला घोंटकर नौशाद आलम की हत्या की थी। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल, विभिन्न रंग के बिजली के तार, प्लास्टिक की बोतलें, ग्लास, नमकीन के पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया था। नौशाद की मकई के खेत में लाश मिली थी। उसकी लाश के पास ही बाइक भी पड़ी थी। नौशाद मूल रूप से वैशाली के कटहारा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पियर थाना क्षेत्र में ही ससुराल के पास चिकन शॉप चलाता था।

5 जिलों में आंधी-बारिश, रोहतास में ओले गिरे, 24 जिलों में अलर्ट

पटना में लैंडिंग से पहले टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट, लखनऊ डायवर्ट

लोकतंत्र की शान, पटना

बिहार में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी है। जमुई, रोहतास, गयाजी समेत 5 जिलों में तेज बारिश हो रही है। गयाजी, रोहतास, लखीसराय में बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40Km/h की रफ्तार से हवा चलेगी। गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। पटना में आधी रात करीब डेढ़ घंटे तेज बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भर गया। पुनाईचक में सड़क धंस गई। इससे पहले राजधानी में बुधवार दोपहर ओले गिरे। इधर, इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 पटना में लैंडिंग से पहले भयंकर टर्बुलेंस में फंस गई। विमान में चीख-पुकार मच गई। जिसके बाद फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट किया गया।

टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट, लखनऊ डायवर्ट: पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 बुधवार को लैंडिंग से पहले अचानक खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। विमान में बैठे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। तेज झटकों की वजह से कई यात्री डर गए और फ्लाइट के अंदर चीख-पुकार की स्थिति बन गई। यात्रियों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस फ्लाइट को केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे।

खराब मौसम और सुरक्षा कारणों को देखते हुए पायलट ने विमान को पटना में उतारने की बजाए लखनऊ डायवर्ट करने का फैसला लिया। इसके बाद फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान के सुरक्षित लैंड होते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट में मौजूद सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी यात्रियों का हौसला बढ़ाया। लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "अब आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित उतर गए हैं।"

रेड क्रॉस स्थापना दिवस पर झंडोत्तोलन व 'मानवता में एकजूटता' थीम पर चर्चा ठंडे पानी का स्टॉल भी लगेगा

लोकतंत्र की शान

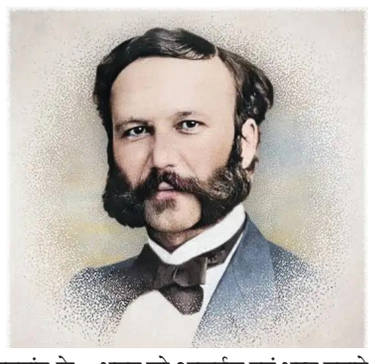

सहरसा | मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सहरसा द्वारा 08 मई 2026 (शुक्रवार) को स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:00 बजे रेड क्रॉस, सहरसा परिसर में चेयरमैन डॉ. अबुल कलाम द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस अवसर पर रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी डयूनांट के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित थीम "United in Humanity" (मानवता में एकजूटता) पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए आमजनों की सुविधा के लिए रेड क्रॉस, सहरसा के मुख्य द्वार पर ग्लूकोज युक्त ठंडे पानी का स्टॉल लगाया जाएगा, जहां लोगों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अलावा, रेड क्रॉस भवन को आकर्षक एवं भव्य बनाने के लिए नीली झालरों से सजाया जाएगा। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के सदस्यों सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आयोजकों ने आमजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।

बिहटा में अज्ञात गाड़ी ने दो पैदल यात्रियों को कुचला, दोनों गंभीर रूप से घायल

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना जिले के बिहटा थानाक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जेएमडी फैक्ट्री के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दो पैदल यात्रियों को कुचल दिया। बुधवार देर रात हुई इस घटना में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान 50 वर्षीय डोमन बिंद और 45 वर्षीय सफिंदर कुमार के रूप में हुई है। दोनों एकंगरसराय के निवासी हैं।

तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचला: जानकारी के अनुसार, दोनों पेशे से ट्रक चालक हैं और माल लेकर फैक्ट्री आए थे। गाड़ी खड़ी करने के बाद वे खाना खाने के लिए पैदल ही होटल जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी दोनों को टक्कर मारते हुए फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

दोनों घायल का हालत गंभीर, पटना रेफर: डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए यातायात भी बाधित हो गई।

फरार वाहन की तलाश में पुलिस: घटना को लेकर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और 112 डायल की टीम मौके पर पहुंची थी। घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दे दी गई है। फरार वाहन की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क मार्ग में बाजार होने के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं।

जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न लक्ष्यों की समीक्षा व शत-प्रतिशत उपलब्धि पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा में आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और वार्षिक लक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 69 लाख के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2.69 लाख की वसूली हुई है, जो 3.91 प्रतिशत है। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में मूंग, उड़द, जूट एवं संकर मक्का के लिए 707.03 क्विंटल बीज का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसका शत-प्रतिशत वितरण किसानों के बीच कर दिया गया है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में यूरिया, डीएपी, एमओपी एवं एनपीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लघु सिंचाई प्रमंडल ने बताया कि कुल 60 नलकूपों में से 48 कार्यरत हैं, शेष 12 की मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। सिंचाई विभाग ने मुख्य नहरों से बालू हटाने का कार्य जारी होने की जानकारी दी, जिससे शीघ्र ही जल आपूर्ति सुचारू होगी। पौधा संरक्षण विभाग द्वारा 19 कीटनाशी नमूना संग्रहण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1 नमूना जांच हेतु भेजा गया है। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत नमूना संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मृदा जांच के तहत 2800 नमूना संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति पर है। जीविका के अंतर्गत 9 क्लस्टरों में 18 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 13 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, अगवानपुर द्वारा 7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 223 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। पशुपालन विभाग ने बताया कि टीकाकरण में 624750 लक्ष्य के विरुद्ध 576200 उपलब्धि प्राप्त की गई है। वहीं ईयर टैगिंग में 780000 लक्ष्य के विरुद्ध 709412 कार्य पूरे किए गए हैं। बर्ड फ्लू के 315 नमूने जांचे गए, जिसमें कोई मामला नहीं पाया गया। उद्योग विभाग के तहत पीएमएफएमई योजना में 166 लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1 आवेदन स्वीकृत हुआ है, जिस पर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी विभागों को प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, अभियंता एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सखी वार्ता कार्यक्रम से महिलाओं में जागरूकता की नई पहल, अधिकारों व सुरक्षा पर दिया गया विशेष जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा |मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम–कहरा कुटीर में महिला एवं बाल विकास निगम के जिला हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW) द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर–181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर–1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर–1098 के बारे में भी विस्तार से बताया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। बाल विवाह रोकथाम, महिला सुरक्षा एवं बालिकाओं के अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी सहायता सेवाओं तथा संकट की स्थिति में उपलब्ध सहयोग तंत्र के बारे में जागरूक किया गया। सखी वार्ता के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सतर्क रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मिशन समन्वयक, जिला हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW), सहरसा द्वारा किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। आयोजन ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सम्राट की पुलिस से खफा हुए बाहुबली अनंत सिंह

लोकतंत्र की शान, पटना

बाहुबली अनंत सिंह सम्राट चौधरी की पुलिस से खफा हैं। गोपालगंज पुलिस ने JDU विधायक पर FIR दर्ज की है। 3 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज के मीरगंज में एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराए थे। इसी कार्यक्रम में अनंत सिंह मुजरा देखने के दौरान तालियां बजाते दिखे थे। हथियार लहराने को लेकर अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद अनंत सिंह सम्राट सरकार के खफा हैं।

उन्होंने कहा है कि, FIR से मैं डरता हूं क्या? क्या मैं किसी आमंत्रण में नहीं जाऊं। उन्होंने गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को भी निशाने पर लिया। अनंत सिंह ने कहा कि, सुने उसको कोई जानता नहीं, इसलिए नाम कमाने के लिए ये सब किया है। अनंत सिंह ने कहा कि, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर गलती की होगी तो हमको भुगतना होगा। ऊपर भगवान बैठा है।

पूरा मामला मीरगंज के सेमराव गांव में गुड्डू राय के घर 2 और 3 अप्रैल को जनेऊ संस्कार के कार्यक्रम का है। जनेऊ में अनंत सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे।

सम्राट कैबिनेट में मंत्री बने केदार प्रसाद गुप्ता

लोकतंत्र की शान, मुजफ्फरपुर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट में केदार प्रसाद गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले केदार प्रसाद नीतीश कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता बिहार भाजपा में तेजी से उभरते वैश्य चेहरों में गिने जा रहे हैं। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और चुनावी संघर्षों में लगातार सक्रिय भूमिका ने उन्हें प्रदेश नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं की सूची में ला खड़ा किया है। इसी वजह से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट में उनका नाम शामिल हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता बिहार की राजनीति में एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। ग्रामीण राजनीति से शुरुआत करने वाले केदार प्रसाद गुप्ता ने लंबे समय तक पंचायत स्तर पर सक्रिय रहकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। वे लगातार 15 वर्षों तक मुखिया पद पर रहे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से केदार प्रसाद गुप्ता 2015 से 2020 तक कुढ़नी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा 2022 के कुढ़नी उपचुनाव में हुई, जहां उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया। इस जीत के बाद भाजपा में उनका कद और बढ़ गया।

मुजफ्फरपुर के दो पुलिसकर्मियों का विवाद पटना पहुंचा मुख्यालय में सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया

लोकतंत्र की शान, मुजफ्फरपुर

बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के बीच चल रहा विवाद का पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। मुख्यालय ने दोनों पक्षों को 7 मई 2026 (गुरुवार) को पटना तलब किया है। ये कार्रवाई लगभग दो वर्षों के इंतजार के बाद की गई है। विवाद की शुरुआत 14 अक्टूबर 2024 को भेजे गए शिकायती पत्रों से हुई थी। मुजफ्फरपुर स्पेशल ब्रांच में तैनात सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पत्र लिखकर तत्कालीन इंस्पेक्टर दिलीप कुमार पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। धर्मेंद्र सिंह ने अपने पत्र में ये भी उल्लेख किया था कि अगर उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति (VRS) नहीं दी गई, तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। धर्मेंद्र सिंह के आरोपों के मुताबिक, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार जूनियर अधिकारियों का उत्पीड़न करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना संकलन के लिए तैनात वाचर जयप्रकाश गौतम, जो धर्मेंद्र सिंह के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें फील्ड में भेजने के बजाय इंस्पेक्टर उनसे घरेलू कार्य करवाते हैं। धर्मेंद्र सिंह ने इन आरोपों की तकनीकी जांच की भी मांग की थी।

धर्मेंद्र सिंह के आरोपों को लेकर दिलीप सिंह ने भी किया था पत्रचार: दूसरी ओर, इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने भी सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कई पत्राचार किए थे। इस मामले में स्थानीय पुलिस से भी रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है। ये मामला केवल विभागीय पत्राचार तक सीमित नहीं रहा। सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह की पत्नी रूबी सिंह ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में इंस्पेक्टर दिलीप कुमार और अन्य के खिलाफ एक परिवाद दायर किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान उनके पति के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई थी। इसी घटना के बाद धर्मेंद्र सिंह ने वीआरएस की मांग उठाई थी। जानकारी के अनुसार, आरोपी इंस्पेक्टर दिलीप कुमार साल 2012 में बेगूसराय से ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर स्पेशल ब्रांच में आए थे। तब से लेकर अब तक, यानी पिछले करीब 14 साल से वे एक ही शाखा में कार्यरत हैं।

- **एक ने दूसरे पर लगाया मानसिक, शारीरिक शोषण का आरोप**

संक्षिप्त समाचार

हसनपुर क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश से आम की फसलों को भारी नुकसान

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः बुधवार की देर रात एवं गुरुवार की सुबह आए आंधी तूफान के कारण हसनपुर क्षेत्र में आम की फसलों को भारी नुकसान हुआ है बताते चलें की मौसम के द्वारा ली गई करवट और आंधी बारिश के चलते आम उत्पादकों को भारी नुकसान की आशंका है बताते चलें कि देर रात आई आंधी तूफान के कारण क्षेत्र के विभिन्न स्थान के पेड़ों पर से भारी मात्रा में छोटी बड़ी अमिया टूट कर गिर गई जिसमें किसानों को, आम उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ वही उत्पादकों ने बताया कि यदि इस तरह से ही आगे भी और नुकसान हुआ तो इस बार आम उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, आम उत्पादक हरपाल सिंह सैनी ने बताया कि तेज बारिश और हवाओं से छोटी बड़ी आमबिया टूट कर गिर गई जो एक बड़ा नुकसान है आम उत्पादकों का कहना है की फसल तैयार होने से पहले इस तरह का नुकसान उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा, किसानों के मुताबिक आम की खेती क्षेत्र के कई परिवारों की आय का मुख्य साधन है फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर सहायता प्रदान करने की मांग की है, बता ते चले कि हसनपुर क्षेत्र आम पट्टी क्षेत्र कहलाता है और हजारों की संख्या में आम उत्पादक अपने परिवार का पालन पोषण इन आम की फसलों पर ही निर्भर करते हैं तथा भारी नुकसान के चलते इस बार आम उत्पादकों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है।

उत्तर प्रदेश में अब 'तुष्टीकरण' नहीं 'संतुष्टिकरण' की राजनीतिः सीएम योगी

लोकतंत्र की शान : सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब "तुष्टीकरण" नहीं, बल्कि "संतुष्टिकरण" की राजनीति हो रही है। पहले सरकारों का धन कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल, कब्जों और जातीय-साम्प्रदायिक तुष्टीकरण में खर्च होता था, लेकिन आज वही पैसा सड़क, विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज, आरसीसी ड्रेन, एक्सप्रेसवे और धार्मिक-पर्यटन स्थलों के विकास में लगाया जा रहा है। सहारनपुर, जो कभी दंगों, फतवों, पलायन के कारण बदनाम था, आज विकास, कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति की नई पहचान बन चुका है। मां शाकम्भरी धाम के पुनरुद्धार से लेकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और इंडस्ट्रियल-लॉजिस्टिक हब तक, सहारनपुर में विकास की नई धारा बह रही है। सीएम योगी गुरुवार को सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपये की 325 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास/लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

डबल इंजन सरकार ने बदली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर-मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर, दोनों बदली हैं। पहले सहारनपुर से दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे और लखनऊ पहुंचने में 12-14 घंटे लगते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे और आधुनिक कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली मात्र ढाई घंटे और लखनऊ करीब 6 घंटे की दूरी पर रह गया है। जो तत्व विकास में बाधक बनते हैं, वे जाति व तुष्टीकरण की राजनीति से समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जनता विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। अच्छी सरकारें चुनी जाती हैं तो परिणाम भी अच्छे आते हैं और सहारनपुर इसका जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है।

योगी सरकार ने लखनऊ में बनाया बाबा साहेब के विचारों का जीवंत केंद्र, पीएचडी स्तर तक शोध की सुविधा होगी उपलब्ध

लोकतंत्र की शान : लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसा स्मारक आकार ले रहा है, जो केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, संविधान और बाबा साहेब के विचारों का जीवंत केंद्र बनने जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसका निर्माण जुलाई 2026 में पूरा हो जाएगा। आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. आंबेडकर की पत्नी सविता आंबेडकर के सपनों को पूरा किया है।

ऑडिटोरियम का कार्य अंतिम चरण में-लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में ईदगाह के सामने लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। स्मारक के लिए इसकी शुरुआती अनुमानित लागत 45.04 करोड़ थी, लेकिन ऑडिटोरियम, फिनिशिंग और बाहरी विकास सहित अतिरिक्त कार्यों के चलते वर्तमान लागत 81 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गई है। इसके निर्माण के लिए दो चरणों में भूमि आवंटन होने के साथ ही दो चरणों में बजट भी जारी हुआ है। स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन 500 सीटों वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास 29 जून 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किया था। लंबे समय से आंबेडकर महासभा और बाबा साहेब के अनुयायी इस स्मारक की मांग कर रहे थे।

मैरिज गार्डन में दुल्हन के जेवरात चोरी करने वाला आरोपी कुठला पुलिस की गिरफ्त में

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ कटनी जबलपुर मध्य प्रदेश

कटनी : पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा (भा0पु0से0) के द्वारा समाज को भय मुक्त एवं निर्बाध जीवन यापन का वातावरण देने बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में कुठला थाना प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में आज दिनांक 07/05/2026 के कुठला पुलिस को विद्या मैरिज गार्डन से दुल्हन के आभूषण चोरी करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ तिज्जू कोरी को मय जेवरातों के गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। सूचनाकर्ता फरियादी हरीश त्रिपाठी पिता स्व0 विजय त्रिपाठी उम्र 38 वर्ष निवासी पहरुआ मण्डी कटनी द्वारा थाना में रिपोर्ट की गई कि दिनांक 03-04/05/2026 की रात्रि उसकी बहन की शादी विद्या मैरिज गार्डन पन्ना मोड़ कटनी में आयोजित थी। शादी के दौरान कमरे में रखी बन्द पेटी का कुंदा तोड़कर उसमें रखे सोने - चांदी के जेवरात (हार,झुमकी,बिछिया, अंगूठियाँ आदि) कुल कीमत लगभग 3,00,000 रुपये को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर लिया है जिसके बाद परिजनों द्वारा तलाश की गई, किन्तु सामान नहीं मिला, मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक व्यक्ति गमछा डाले कमरे में प्रवेश कर सिंगारदानी ले जाते तथा दूसरा व्यक्ति बाहर निगरानी करते दिखाई दिया। जिसकी रिपोर्ट पर दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई जिसके पश्चात मामले के अज्ञात आरोपियों की पता तलाश कुठला पुलिस द्वारा परम्परागत एवं तकनीकी सहायता लेकर विवेचना की गई घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की पहचान मुखबिर द्वारा उक्त सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति का नाम राजकुमार कोरी उर्फ तिज्जू कोरी निवासी कछगवा का होना बताया जिसके पश्चात राजकुमार कोरी की पता तलाश उसकी सकूनत पर की गई तथा उसने पूछताछ में अपने भतीजे शाहिल के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया हैं जिसके बाद आरोपी से चोरी किये हुए जेवर झुमकी, बिछिया, अंगूठियाँ जप्त किये गये, जबकि आरोपी द्वारा चोरी किया गया सोने का हार IIFL बैंक कटनी में गिरबी रख दिया गया है। जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। मामले का अन्य आरोपी शाहिल जो फरार है जिसकी पता तलाश की जा रही है। आरोपी को न्यायालय कटनी में प्रस्तुत किया गया है तथा आरोपी से अन्य प्रकरणों में पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड में लिया गया है।

चुरहट नगर परिषद में घटिया निर्माण को लेकर विरोध तेज

- एसडीएम को सौंपे ज्ञापन जांच की उठी मांग
- उपयंत्री को सीएमओ ने भेजा लिखा पत्र

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। नगर परिषद चुरहट क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डो में चल रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर अब उपाध्यक्ष सहित पार्षदों के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरोध से अब नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल खुलने लगी है। उल्लेखनीय हैं कि गुरुवार को नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय के नेतृत्व में एसडीएम विकास कुमार आनंद को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग उठाई है। बता दें कि घटिया निर्माण कार्य करने वाले संविदाकार उमा कंस्ट्रक्शन रीवा द्वारा बीछी रोड़ के उत्तर दिशा में नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, 05 मई 2026 को आंधी तूफान एवं वर्षा होने से नाली की बाहरी दीवाल लगभग 20 मीटर ढह गई है, जिस पर सीएमओ नगर परिषद चुरहट ने उपयंत्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को पत्र लिखकर कार्यवाही करने सहित 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। हैरानी की बात यह है कि यह निर्माण कार्य शुरू से ही घटिया तरीके से किया जा रहा था, जिसके शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी लेकिन उपयंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।

कमर्जी पुलिस ने नाबालिक बालिका को सुरक्षित बचाया

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कोल के मार्गदर्शन में थाना कमर्जी पुलिस द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करते हुए एक नाबालिक बालिका की जान बचाई गई। पुलिस के अनुसार दिनांक 7 मई 2026 को प्रातःकाल कुछ राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि सोन नदी स्थित गऊघाट पुलिया पर एक नाबालिक बालिका संदिग्ध अवस्था में घूम रही है तथा उसके द्वारा पुलिया से नीचे कूदने जैसा कदम उठाए जाने की आशंका है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना कमर्जी पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। थाना कमर्जी से बीट प्रभारी प्रधान आरक्षक दयानंद एवं डायल 112 में तैनात आरक्षक सुनील डाबर तत्काल घटनास्थल पहुंचे तथा स्थानीय लोगों की सहायता से बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि बालिका घरेलू बातों एवं भावनात्मक तनाव के कारण मानसिक रूप से व्यथित थी। परिवार से संबंधित एक व्यक्तिगत विषय को लेकर वह अचानक आक्रोश एवं भावनात्मक आवेश में घर से निकल गई थी तथा सोन नदी पुलिया से नीचे कूदकर आत्मघाती कदम उठाने का मन बना चुकी थी। पुलिस टीम द्वारा अत्यंत धैर्य, समझदारी एवं मानवीय संवेदनशीलता के साथ बालिका की काउंसलिंग की गई, जिससे वह सामान्य हुई और सुरक्षित रूप से परिजनों के साथ जाने के लिए तैयार हुई। तत्पश्चात बालिका को उसके पिता के सुपुर्द किया गया। साथ ही परिवार को आवश्यक समझाइश दी गई एवं बालिका की आगे वन स्टॉप सेंटर तथा बाल कल्याण समिति, सीधी के माध्यम से काउंसलिंग कराए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। थाना कमर्जी पुलिस की इस त्वरित, सजग एवं संवेदनशील कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। पुलिस की इस मानवीय पहल ने एक नाबालिक का जीवन सुरक्षित कर परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है।

वर्षा पूर्व तैयारियों में जुटा निगम प्रशासन

लोकतंत्र की शान

कटनी गत : आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिक निगम द्वारा शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी निराकरण एवं सुगम जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर नाले-नालियों की सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख नालों, बड़ी नालियों, जल निकासी मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनों एवं स्वच्छता दूतों के माध्यम से निरंतर सफाई कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देशन में संचालित इस विशेष अभियान के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां विगत वर्षों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी। सफाई कार्य के दौरान नालों में जमा गाद, प्लास्टिक कचरा, मलबा एवं अवरोधों को हटाकर जल प्रवाह को सुचारू बनाया जा रहा है, जिससे वर्षा के दौरान पानी का निकास बिना रुकावट हो सके।

इन स्थलों पर चला विशेष अभियान-वर्षा ऋतु के पूर्व संभावित जलभराव की समस्या से निपटने हेतु नालों एवं नालियों की सफाई, सिल्ट हटाने तथा अवरुद्ध जल निकासी मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। जिसके तहत गुरूवार को वंश स्वरूप वार्ड में नाले के ऊपर का अतिक्रमण हटाकर सफाई का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त नाली मशीन के माध्यम से बाबू जगजीवन राम वार्ड स्थित जैन कॉलोनी, कुठला बस्ती, सुधार न्यास कॉलोनी, जगमोहन दास वार्ड स्थित गिरजा घाट मोड़ से गिरजा घाट तक की नाली, द्वारिका सिटी, वेंकट वार्ड के विभिन्न स्थलों, सिविल लाइन, नई बस्ती, तिलक कॉलेज मोड़, मदन मोहन चौबे वार्ड माधवनगर स्थित साबुन लाईन, भट्टा मोहल्ला,संजय नगर सहित नगर के अन्य वार्डों के नालों की सफाई का कार्य किया गया। वही मदन मोहन चौबे वार्ड में विशेष नाला गैंग के माध्यम से नाले की सफाई का कार्य कराया जाकर जल निकासी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास किये गए।

कुसमी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भव्य आयोजन, 127 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के कुसमी जनपद अंतर्गत अष्टभुजी देवी मंदिर गोतरा परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में 127 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। पूरे आयोजन में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक परंपरा और जनभागीदारी का उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य एवं धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजी सिंह, जनपद अध्यक्ष श्यामवती सिंह, जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह एवं जनपद उपाध्यक्ष भूपाल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ अष्टभुजी एवं भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। आचार्यों द्वारा वैदिक विधि-विधान के साथ विवाह संस्कार संपन्न कराए गए। सभी नवविवाहित जोड़ों को शासन की ओर से 49-49 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने नवदंपत्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल एक शासकीय योजना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए संवेदनशील सहयोग का माध्यम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि विवाह भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र संस्कार है, जो केवल दो व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है। उन्होंने नवदंपत्तियों से आग्रह किया कि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत प्रेम, विश्वास, आपसी समझ और जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने कहा कि परिवार तभी मजबूत बनता है जब उसमें सम्मान, धैर्य और सहयोग की भावना हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने हजारों गरीब परिवारों की चिंता कम की है और बेटियों के विवाह को सम्मानजनक स्वरूप प्रदान किया है। सांसद डॉ. मिश्रा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं समृद्ध जीवन की कामना की तथा टिकौना स्वरूप 11 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी और राहत प्रदान करने वाली योजना सिद्ध हुई है।

जनगणना कार्य में लगेअधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध

कलेक्टर श्री तिवारी ने जारी किया आदेश

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। गत 05 मई 2026 जिले में जारी जनगणना -2027 के तहत कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी ने जनगणना कार्य से संबद्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत 1 मई से मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है, जो 30 मई 2026 तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जनगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों (रिजर्व सहित) के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को अपने चार्ज अधिकारी की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति से ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

जिले में शुरू हुए एआई आधारित ई-चेक गेट, अवैध परिवहन पर लगेगी लगाम

- अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगाए गए 40 ई-चेक गेट

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन द्वारा 40 ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में सीधी जिले के तहसील रामपुर नैकिन अंतर्गत बघवार क्षेत्र एवं तहसील चुरहट अंतर्गत ग्राम कोष्टा कोठार में 2 ई-चेक गेट का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिला खनिज अधिकारी श्री कपिलमुनि शुक्ला ने बताया कि म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 में संशोधन के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। यह पूरी तरह मानव रहित डिजिटल प्रणाली है, जिससे खनिज परिवहन में लगी गाडिय़ों की सतत निगरानी संभव होगी। उन्होंने बताया कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। यह टैग वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर लगाया जाएगा, जिससे ई-चेक गेट से गुजरते ही वाहन की पूरी जानकारी स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। वर्तमान में वाहन नंबर रीडिंग के माध्यम से भी वाहनों की जानकारी दर्ज की जा रही है। आरएफआईडी तकनीक के माध्यम से वाहन संख्या, ई-ट्रांजिट पास, खनिज की मात्रा एवं परिवहन संबंधी जानकारी का डिजिटल सत्यापन किया जा सकेगा, जिससे अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग एवं अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। ई-चेक गेट पर वेरिफिकेशन कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर तथा आरएफआईडी टैग रीडर जैसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जो वाहन संख्या, खनिज की मात्रा एवं वजन की सटीक जानकारी दर्ज करेंगे। यदि ई-ट्रांजिट पास एवं वास्तविक परिवहन में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित वाहन मालिकों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर वाहन पंजीयन निलंबन एवं जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। ई-चेक गेट से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के आधार पर अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस नई प्रणाली से अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण स्थापित होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी तथा खनिज राजस्व में वृद्धि होगी। इसी क्रम में कोष्टा कोठार स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित चेक गेट से खनिज रेत का बिना वैध ईटीपी परिवहन एवं एक ही ईटीपी प्राप्त कर एक से अधिक बार परिवहन करते पाए जाने पर 5 वाहनों के वाहन स्वामियों को 7 दिवसीय मांग पत्र जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहनों का खनिज पंजीयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार वाहन जब्ती एवं अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मोदी सरकार में तीसरी बार केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री बनने पर रामदास अठावले का भव्य नागरिक सत्कार

लोकतंत्र की शान, संवाददाता : बाबा साहब अनंत जानराव

Ramdas Athawale के मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनने के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुरडवाडी शहर में भव्य नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आरपीआई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। समारोह में उपस्थित लोगों ने रामदास अठावले के नेतृत्व, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दलित, पिछड़े एवं मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री पद मिलना उनके लंबे सामाजिक संघर्ष, जनसेवा और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व का प्रमाण है। इस अवसर पर आरपीआई महाराष्ट्र अध्यक्ष राजा भाऊ सरोदे, आरपीआई महाराष्ट्र पश्चिम उपाध्यक्ष, कुरडवाडी के उपनगर अध्यक्ष बापूसाहेब जगताप, कामगार यूनियन अध्यक्ष विजय जानराव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रामदास अठावले को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जगह-जगह स्वागत बैनर लगाए गए तथा जय भीम और आरपीआई के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। वक्ताओं ने कहा कि रामदास अठावले हमेशा समाज के गरीब, शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग की आवाज बनकर कार्य करते रहे हैं और आगे भी समाजहित में इसी तरह कार्य करते रहेंगे। समारोह का समापन सभी अतिथियों के सम्मान एवं आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरपीआई समर्थक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

पोखरा हवाईअड्डे निर्माण में भ्रष्टाचार, पूर्व वित्त मंत्री ज्ञानेन्द्र कार्की को भी आरोपित बनाया गया

काठमांडू। नेपाल के पोखरा हवाईअड्डे निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री ज्ञानेन्द्र कार्की को भी आरोपित बनाया गया है। इसके साथ ही पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरण में जुड़े पूर्व मंत्रियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। ब्यूरो ने तीन अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पांच पूर्व मंत्रियों सहित कई लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया था। उस समय पूर्व मंत्री भीम आचार्य, दीपक अमात्य, राम कुमार श्रेष्ठ, राम शरण महत और पोस्ट बहादुर बोगटी को आरोपित बनाया गया था। गुरुवार को दायर नए मामले में पूर्व मंत्री ज्ञानेन्द्र कार्की का नाम भी जोड़ा गया है। पूर्व मंत्री पोस्टबहादुर बोगटी का निधन हो चुका है, इसलिए उनकी पत्नी राममाया बोगटी को प्रतिवादी बनाया गया है। विशेष अदालत के प्रवक्ता कृष्ण शरण लामिछाने के अनुसार ब्यूरो का आरोप है कि ठेका समझौते में निर्धारित प्रावधानों के विपरीत ठेकेदार को राजस्व में छूट देकर भ्रष्टाचार किया गया। इसी आधार पर आरोपपत्र दायर किया गया है। ब्यूरो ने इस मामले में 3 अरब 62 करोड़ 5 लाख 22 हजार 160 नेपाली रुपये के भ्रष्टाचार होने की बात कही है। इस मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री कार्की के अलावा तत्कालीन वित्त सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सह सचिव सुरेश आचार्य और दुण्डुराज घिमिरे, पूर्व सचिव केवल भण्डारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम तथा निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी और इंजीनियर योगेश अर्याल के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले गत मार्च में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अन्य मामला दायर किया था, जिसमें 21 व्यक्तियों और 2 कंपनियों को प्रतिवादी बनाया गया था। उस मामले में तत्कालीन पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम और राजन पोखरेल समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

शहबाज शरीफ आज गिलगित-बाल्टिस्तान के दौरे पर

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज गिलगित-बाल्टिस्तान की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। शरीफ इस यात्रा के दौरान राजधानी गिलगित में राज्यपाल सैयद मेहदी शाह और मुख्यमंत्री यार मोहम्मद से मिलकर प्रमुख प्रशासनिक और विकास से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, शरीफ आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान की एक दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में संघीय मंत्री अहसान इकबाल, अवैस अहमद खान लेग़ारी, अताउल्लाह तारड़, आमिर मुक़ाम, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीक़ी और प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह शामिल होंगे।अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करेगा। इस यात्रा को गिलगित-बाल्टिस्तान में शासन-प्रशासन को बेहतर बनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए संघीय सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक और कानूनी रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर का अभिन्न अंग है। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध और गैरकानूनी कब्जे में है। भारत के अनुसार, यह क्षेत्र 1947 में हुए जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद से ही कानूनी रूप से देश का हिस्सा है।

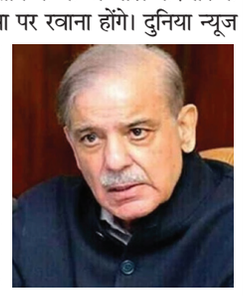

शादी की सालगिरह पर महेश जोशी गिरफ्तार

जयपुर। भष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन (JJM) में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी की SIT ने यह कार्रवाई की है। आज ही जोशी की शादी की सालगिरह भी है। DIG डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया- ACB SIT सुबह करीब साढ़े चार बजे सैन कॉलोनी, पावर हाउस रोड, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी। यहां महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया। सुबह करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर ACB मुख्यालय लाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने महेश जोशी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। उधर, जोशी ने कहा- मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करूंगा कि किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शादी की सालगिरह की वजह से जोशी का आज विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जाने का कार्यक्रम था। इससे पहले ही सुबह 5:00 बजे एसीबी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। जोशी के रिक्वेस्ट करने पर टीम ने उन्हें स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति भी दे दी थी। घर के पास ही गली में स्थित शिव मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया। इसके बाद जोशी को ACB मुख्यालय लाया गया।

नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून को पहली उड़ान, बुकिंग शुरू

नोएडा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए जाएगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा हवाई अड्डे होकर बेंगलुरु जाएगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। पहली फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की होगी। अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने की तिथि अभी घोषित नहीं की है। नोएडा हवाई अड्डे को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूवल मिलने के बाद इंडिगो ने 15 जून से विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। गुरुवार शाम को हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया। इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट आएगी और यहां से बेंगलुरु जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि यह फ्लाइट सुबह आठ बजे के करीब यहां पहुंचेगी और कुछ देर नोएडा एयरपोर्ट पर रुकने के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएगी। देश के अन्य शहरों के लिए फ्लाइट शेड्यूल भी देर रात तक सामने आ जाएगा। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए देश के प्रमुख शहरों जैसे नवी मुंबई, कश्मीर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, जयपुर, बंगलुरू, अहमदाबाद, गोवा के लिए उड़ाने शुरू करने की तैयारी है।

चंद्रनाथ हत्याकांड : इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन आसनसोल के बर्नपुर का

आसनसोल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या में नया खुलासा हुआ है। चंद्रनाथ की हत्या में उपयोग की गई बाइक का रजिस्ट्रेशन पश्चिम बर्दवान जिले के बर्नपुर इलाके का निकला है। जांच में सामने आया कि बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर WB44D1990 है। उपलब्ध रजिस्ट्रेशन विवरण के अनुसार बाइक के मालिक का नाम विभाष कुमार भट्टाचार्य बताया गया है। बाइक का रजिस्ट्रेशन पश्चिम बर्दवान आरटीओ में 4 मई, 2012 को हुआ था और इसकी वैधता 2 मई, 2027 तक है। रजिस्ट्रेशन में दर्ज पता - क्वार्टर नंबर AB 7/12, गुरुद्वारा रोड, बर्नपुर, थाना/लैंडमार्क हीरापुर, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल दिया गया है। गुरुवार को जब इस पते की जांच की गई तो पता चला कि वहां विभाष कुमार भट्टाचार्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। वर्तमान में उस क्वार्टर में बर्नपुर इस्को कारखाने के कर्मचारी धरमवीर कुमार अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। धरमवीर कुमार ने बताया कि वे वर्ष 2014 से वहां रह रहे हैं और विभाष नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। उन्होंने यह भी कहा कि जिस बाइक का नंबर सामने आया है, वह वहां मौजूद नहीं है। उनके पास जो बाइक है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। इस खुलासे के बाद गुरुद्वारा रोड स्थित एबी टाइप क्वार्टर के निवासी भी हैरान हैं। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हो सकता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 22 आरोपितों को किया बरी

सोहराबुद्दीन शेख मामला

एजेंसी, मुंबई

गुजरात के कुख्यात अपराधी सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखते हुए 21 पुलिस अधिकारियों समेत सभी 22 आरोपितों को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। सोहराबुद्दीन शेख के भाइयों की दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।

यह मामला वर्ष 2005 का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच में दावा किया था कि सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति का अपहरण कर उनकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी। सीबीआई के अनुसार, 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद में सोहराबुद्दीन

शेख का एनकाउंटर किया गया, जबकि कौसर बी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया था। इसके एक वर्ष बाद तुलसीराम प्रजापति की भी कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस मामले में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

वर्ष 2018 में विशेष सीबीआई अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 22 आरोपितों को बरी कर दिया था। अदालत ने अपने 358 पृष्ठों के फैसले में सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने टिप्पणी की थी कि जांच एजेंसी ने निष्पक्ष जांच के बजाय पूर्वनिर्धारित कहानी के आधार पर राजनीतिक नेताओं को फंसाने का प्रयास किया। इस फैसले के खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विशेष अदालत ने कई गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नजरअंदाज किया। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के निर्णय को सही ठहराया।

सुनवाई के दौरान आरोपितों के वकीलों ने कहा कि विशेष अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों की गहन जांच के बाद ही फैसला सुनाया था। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इस मामले में 'धारा 197' के तहत किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

बेरूत पर इजराइल का हवाई हमला

हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर मालेक बल्लूत मारा गया

एजेंसी, तेल अवीव/बेरूत

लेबनान में पिछले माह से लागू सैन्य विराम के मध्य इजराइल ने बुधवार शाम पहली बार राजधानी बेरूत में पहला हवाई हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स का कमांडर मालेक बल्लूत मारा गया।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स के कमांडर को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अप्रैल को पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच सैन्य विराम की घोषणा की थी। तब से हिजबुल्लाह और इजराइल एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यह सैन्य विराम अब काफी हद तक टूट चुका है, हालांकि लड़ाई का स्तर पहले के मुकाबले कम है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइली वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भीषण हवाई हमला किया। इस क्षेत्र को हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस हमले के बाद नेतन्याहू और काट्ज ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की रदवान फ़ोर्स के कमांडर को खत्म करने के लिए उस पर हमला किया। इस हमले में कमांडर मारा गया।" इजराइली नेताओं ने कहा कि रादवान फोर्स का यह कमांडर इजराइली समुदायों पर रॉकेट दागने और आईडीएफ सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा, "इजराइल के लंबे हाथ हर दुश्मन और हत्यारे तक पहुंचेंगे। हमने लेबनाने के उत्तरी क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षा देने का वादा किया। हम उसे निभा रहे हैं।" हालांकि आईडीएफ ने राजधानी में हुए इस दुर्लभ हवाई हमले में तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

बताया गया है कि बुधवार को दिन में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के विस्फोटक ड्रोन हमलों में सात इजराइली सैनिक घायल हो गए।

पीछा किया, रास्ता रोका और गोलियां बरसा दीं

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात 10.30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। 42 साल के चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यमग्राम जा रहे थे, जहां वे किराए के घर में अकेले रहते थे। हमलावर ने उन्हें सीने में दो और एक पेट में गोली मारी। चंद्रनाथ करीब 9 बजे कोलकाता से निकले : चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यमग्राम स्थित अपने किराए के घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। चंद्रनाथ बगल में बैठे थे। रात 10 बजे CCTV में स्कॉर्पियो दिखी : कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यमग्राम में रात 9:58 बजे एक CCTV कैमरे में चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो सड़क से गुजरती दिखी। स्कॉर्पियो के गुजरने के कुछ देर बाद इलाके से एक कार और दो बाइक पर सवार तीन आरोपी

♦ अपराधियों की कार का नंबर फर्जी, बाइक बिना नंबर प्लेट की

पीछे जाते दिखे। 10:30 बजे कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका : मध्यमग्राम के दोहरिया जंक्शन के पास कार स्कॉर्पियो से आगे निकल गई और सामने जाकर गाड़ी रोक दी। स्कॉर्पियो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। जब तक चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते, बाइक सवार हमलावर बाईं तरफ आए और 6 से 10 राउंड फायरिंग की।

चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा

एजेंसी, बीजिंग

चीन ने भ्रष्टाचार के मामलों में दो पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और वेई फेंगहे को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, दोनों को पहले 2 साल जेल में रखा जाएगा। अगर वह दो साल तक कोई नया अपराध नहीं करता तो सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ली शांगफू को पिछले साल अचानक पद से हटाया गया था, जबकि वेई फेंगहे भी सैन्य भ्रष्टाचार जांच के दायरे में आए थे। जिसके बाद दोनों को 2024 में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की सेना और रक्षा से जुड़े के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

ली शांगफू पर रिश्वत और अनुशासन उल्लंघन के आरोप: चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को पिछले साल अक्टूबर में अचानक पद से हटा दिया गया था। वे करीब दो महीने तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे, जिससे कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं। अब पहली बार चीनी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से

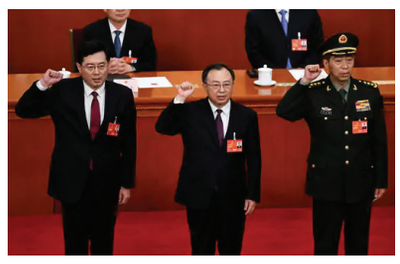

जुड़ी जांच चल रही थी। CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अनुशासन जांच एजेंसी ने पाया कि ली ने गंभीर रूप से पार्टी अनुशासन और कानून का उल्लंघन' किया। उन पर बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने, दूसरों को रिश्वत देने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ली की गतिविधियों से सेना के हथियार डेवलपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा।

पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगहे पर भी कार्रवाई: चीन के पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगहे पर रिश्वत लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। चीन की सैन्य अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी माना है। जांच में सामने आया कि वेई फेंगहे ने रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़े फैसलों में फायदा पहुंचाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत ली थी। वेई फेंगहे चीन के सीनियर सैन्य अधिकारियों में गिने जाते थे। वे चीन के पूर्व रक्षा मंत्री होने के साथ चीनी सेना में रॉकेट फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। रॉकेट फोर्स चीन की मिसाइल और परमाणु हथियार सिस्टम को संभालती है।

♦ भ्रष्टाचार मामले में वेई फेंघे और ली शांगफू दोषी करार, पूरी प्रॉपर्टी भी जब्त

रॉकेट फोर्स पर जांच का फोकस: रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में चल रही भ्रष्टाचार जांच का सबसे बड़ा सेंटर PLA रॉकेट फोर्स और सेना के हथियार खरीद विभाग को माना जा रहा है। PLA रॉकेट फोर्स चीन की सेना की वह खास यूनिट है, जो देश की परमाणु मिसाइलों और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को संभालती है। इसे चीन की सैन्य ताकत का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यही यूनिट जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। जांच एजेंसियों को शक है कि सेना के लिए हथियार खरीदने, रक्षा सौदों और सैन्य उपकरणों की सप्लाई में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। आरोप हैं कि कई अधिकारियों ने ठेके देने और बड़े सैन्य सौदों में रिश्वत ली।

सुप्रीम कोर्ट बोला-हर धार्मिक प्रथा को चुनौती गलत

सबरीमाला केस

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को अदालत में चुनौती देने लगेंगे, तो इससे धर्म और समाज पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। यह टिप्पणी नौ जजों की संविधान पीठ ने की, जो अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला और दाऊदी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी 40 साल पुरानी जनहित याचिका (PIL) की वैधता पर सवाल उठाए थे।

जस्टिस नागरत्ना

❐ इससे धर्म और समाज दोनों टूट जाएंगे, अदालतों में सैकड़ों केस आएंगे

बोलीं- इससे कोर्ट में केस बढ़ेंगे: जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर हर व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाएगा, तो भारतीय समाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहां धर्म समाज से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा, हर अधिकार पर सवाल उठेंगे- मंदिर खुलने या बंद होने तक के मामले कोर्ट में आएंगे। कोर्ट की यह टिप्पणी दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी 40 साल पुरानी याचिका पर आई। जस्टिस एमएम सुन्द्रेश ने कहा कि अगर ऐसे विवादों को लगातार अनुमति दी गई, तो हर व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाएगा। इससे धर्म टूट सकते हैं और अदालतों पर भी असर पड़ेगा।

धार्मिक प्रथाओं पर सवाल कहां और कैसे उठाए जाएं: सुधारवादी दाऊदी बोहरा समूह की ओर से वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई प्रथा सामाजिक या निजी कारणों से जुड़ी है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी प्रथा अगर मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक असर डालती है, तो उसे सीमित किया जा सकता है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता और सभ्यता से है, और धर्म इसमें एक स्थायी तत्व है। इसे तोड़ना सही नहीं होगा। 1962 का फैसला रद्द करने की मांग दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने 1986 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 1962 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, 1949 रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी सदस्य को समुदाय से बाहर करना गैरकानूनी था। 1962 के फैसले में कहा गया था कि धार्मिक आधार पर किसी सदस्य को समुदाय से बाहर करना, समुदाय के धार्मिक मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है। इसलिए 1949 का कानून संविधान के अनुच्छेद 26(बी) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है।

एकनाथ शिंदे का हेलिकॉप्टर आंधी में फंसा, शादी में जा रहे थे

एजेंसी, मुंबई

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर कल्याण के पास खराब मौसम और तेज आंधी-तूफान में फंस गया। जानकारी के अनुसार शिंदे मुंबई के महालक्ष्मी हेलीपैड से कल्याण के आगे मुरबाड में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। पायलट हेलिकॉप्टर को आगे ले जाने के बजाय वापस ले आया। मुंबई के जुहू हेलीपैड पर सेफ लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।

पुणे के बारामती में 28 जनवरी को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया था कि 26 जनवरी को VSR वेंचर्स के एयरक्राफ्ट VT-SSK ने मुंबई-सूरत-मुंबई सेक्टर के लिए एक चार्टर फ्लाइट ऑपरेट की थी। यह 27 जनवरी की रात 12.20

बजे मुंबई वापस आई। अगले दिन यानि 28 जनवरी को इसी एयरक्राफ्ट को सुबह करीब 8.09 बजे टेक ऑफ क्लियरेंस दिया गया था।पुणे ATC के बाद, प्लेन सुबह 8.19 बजे बारामती टावर के संपर्क में आया। बाद में, कंट्रोलर ने पायलटों को बताया कि विजिबिलिटी 3 किलोमीटर थी। हालांकि, एयरक्राफ्ट ने अप्रोच जारी रखा और बाद में गो-अराउंड किया। दूसरे अप्रोच के दौरान एयरक्राफ्ट ने फील्ड इन साइट की रिपोर्ट दी। बाद में बारामती टावर ने रनवे 11 के लिए लैंडिंग क्लियरेंस दिया। बारामती टावर ने हवाओं के शांत होने की भी जानकारी दी।

म्यांमार सीमा से आए उग्रवादियों ने मणिपुर में घर जलाए

एजेंसी, इंफाल

मणिपुर के कमजोंग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास गुरुवार सुबह हथियारबंद उग्रवादियों ने कई गांवों पर हमला किया। कई घरों में आग लगा दी गई। लोग जान बचाकर जंगलों में भाग गए। पुलिस के मुताबिक, हमला सुबह करीब चार बजे हुआ। उग्रवादियों ने कसोम खुल्लेन थाना क्षेत्र के तांगखुल नागा गांव नामली, वांगली और चोरो को निशाना बनाया। ये गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। हमले के दौरान भागने की कोशिश में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई।

गांव वालों के मुताबिक, नामली में दो, वांगली में तीन से चार और चोरो में कई घर जलकर राख हो गए। चोरो में एक चर्च को छोड़कर कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाद में असम राइफल्स समेत सुरक्षा

बल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फुंगयार से विधायक एल केइशिंग ने आरोप लगाया कि हमला म्यांमार की ओर से आए उग्रवादी संगठनों कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) और पीपुल्स डिफेंस फोर्स (PDF) ने किया। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में अंदरूनी संघर्ष हो रहे थे, लेकिन अब बाहरी हमला हुआ है। एल केइशिंग ने कहा कि करीब साढ़े तीन बजे चार से पांच सीमा गांवों पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि कई घर जल गए हैं, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है।

कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा

एजेंसी, ओटावा

कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। अलगाववादियों ने बुधवार को दावा किया है कि उन्होंने इतना समर्थन जुटा लिया है कि अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराया जा सकता है। अलगाववादी नेताओं के मुताबिक, उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि इसके लिए 1.78 लाख दस्तखत की जरूरत थी। आंदोलन के नेता मिच सिलवेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अब यह लड़ाई अगले चरण में पहुंच गई है। हालांकि इतना समर्थन जुटा लेने का मतलब यह नहीं है कि रेफरेंडम पक्का हो गया है। चुनाव आयोग को पहले इन हस्ताक्षरों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया पर फिलहाल अदालत के आदेश की वजह से रोक भी लगी हुई है। अगर वोटिंग अल्बर्टा के पक्ष में गई तो यह प्रांत कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है। अल जजीरा के मुताबिक, अगर सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाती हैं, तो प्रांत में 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बड़े जनमत संग्रह के

साथ अलगाव पर भी वोटिंग कराई जा सकती है। उसी दिन संविधान और इमिग्रेशन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी मतदान की योजना है।

♦ अक्टूबर में वोटिंग संभव, अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए

सर्वे में 30% लोग ही अलग देश के पक्ष में: अगर यह प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंचता है, तो लोगों से सीधा सवाल पूछा जाएगा कि क्या अल्बर्टा कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। लेकिन सर्वे बताते हैं कि अभी सिर्फ करीब 30 प्रतिशत लोग ही इसके समर्थन में हैं, यानी जनमत संग्रह पास होना भी आसान नहीं है। हालांकि अलगाववादियों का मानना है कि यह आंकड़ा वोटिंग के दौरान बढ़ने वाला है। अल्बर्टा की प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने कहा है कि अगर जरूरी हस्ताक्षर पूरे होते हैं तो वह वोटिंग आगे बढ़ाएंगी, लेकिन वह खुद कनाडा से अलग होने के पक्ष में नहीं हैं। इस अलगाववादी आंदोलन की जड़ें काफी पुरानी हैं। अल्बर्टा, जहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं, लंबे समय से खुद को कनाडा के बाकी हिस्सों से अलग मानता है। यहां के लोग मानते हैं कि उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति अलग है, लेकिन फैसले ओटावा में बैठकर लिए जाते हैं।

कनाडा के अल्बर्टा में अलग देश बनने की मांग अचानक नहीं उठी है। इसके पीछे कई सालों से चल रही नाराजगी और अलग पहचान की भावना काम कर रही है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। अल्बर्टा तेल और गैस से भरपूर राज्य है। यहां कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा निकलता है।

डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों की नई क्रांतिः उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन 2026- सुझाव 5 जून 2026 तक आमंत्रित- भारत की जवाबदेह अर्थव्यवस्था की ओर एक निर्णायक कदम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026- मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को तीव्र समाधान,पारदर्शी और तकनीक- सक्षम न्याय उपलब्ध कराना

» भारत के दूरसंचार उपभोक्ता अधिकारों का नया युगः ट्राई क़ा 2026 मसौदा संशोधन डिजिटल लोकतंत्र की बड़ी क्रांति बन सकते हैं- 5 जून 2026 तक सभी उपभोक्ता अपने सुझाव जरूर दें -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक्र स्तर पर 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता केवल बाजार का अंतिम खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि वह आर्थिक संरचना का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फिनटेक, मोबाइल एप आधारित सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यापार मॉडल और वैश्विक उपभोक्ता नेटवर्क ने नागरिकों को अभूतपूर्व सुविधाएं प्रदान की हैं,किंतु इसके साथ ही उपभोक्ताओं के शोषण,धोखाधड़ी,गलत बिलिंग, डेटा दुरुपयोग,सेवा मेंलापरवाही और शिकायतों के अनसुलझे रहने जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं। यही कारण है कि विश्वभर की सरकारें अब कंज्यूमर सेंट्रिक गवर्नेंस यानी उपभोक्ता-केंद्रित प्रशासन की दिशा में अपने कानूनों और नियामकीय ढांचों को पुनर्गठित कर रही हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि इसी पृष्ठभूमि में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानें ट्राई द्वारा अप्रैल 2026 में जारी किए गए दो महत्वपूर्ण मसौदा विनियम भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाले कदम माने जा रहे हैं। पहला मसौदा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 से संबंधित है, जिसमें सुझाव देने की अंतिम तिथि 5 मई 2026 थी,उसमें वॉयस और एसएमएस पैक कोअनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जबकि दूसरा मसौदा उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने वाले चौथे संशोधन से जुड़ा है जिसकी जनता के द्वारा सुझाव देने की समयसीमा 5 जून 2026 निर्धारित की गई है। इन प्रस्तावों ने दूरसंचार कंपनियों, डिजिटल नीति विशेषज्ञों, उपभोक्ता संगठनों और आम नागरिकों के बीच व्यापक बहस को जन्म दिया है।जो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधारवादी कदम है।भारत आज विश्व कीसबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभरता हुआ देश है।यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, टेलीकॉम सेवाओं और मोबाइल इंटरनेट के विस्फोटक विस्तार ने उपभोक्ता व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया है। करोड़ों भारतीय अब घर बैठे वस्तुएं खरीदते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, बीमा लेते हैं,ऋण प्राप्त करते हैं और सरकारी सेवाओं तक डिजिटल माध्यम से पहुंचते हैं।किंतु इस डिजिटलविस्तार के साथ उपभोक्ताओं की शिकायतें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हैं। कहीं बैंक खातों से साइबर धोखाधड़ी हो रही है, कहीं गलत बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, कहीं ई-कॉमर्स कंपनियां रिफंड देने में महीनों लगा रही हैं, तो कहीं मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर नहीं कर रही हैं। पारंपरिक उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र इन चुनौतियों के सामने कमजोर और धीमा साबित हो रहा था। इसी आवश्यकता को देखते हुए यह चौथा संशोधन विनियमन सामने आया है, जिसका मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं कोसटीकता से तेज, पारदर्शी और तकनीक- सक्षम न्याय तुरंत उपलब्ध कराना है। साथियों बात अगर हम इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझने की करें तो वह यह है कि यहउपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देता है। पहले उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे,लंबी फाइल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और कई बार छोटी शिकायतें भी महीनों तक लंबित रहती थीं।नए विनियमन के तहत ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप, ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली और डिजिटल दस्तावेज अपलोड की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है।इसका अर्थ यह है कि अब देश का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से शिकायत दर्ज कर सकेगा, उसकी स्थिति ट्रैक कर सकेगा और सुनवाई की सूचना भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेगा। यह परिवर्तन केवल तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां नागरिकों को सरकारी कार्यालयों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होगी। यह विनियमन केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिकायत समाधान की समय-सीमा तय करके प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का सटीक प्रयास करता है। साथियों बात अगर हम भारत में लंबे समय से उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में देरी को समझने की करें तोयह एक गंभीर समस्या रही है। कई मामलों में शिकायतें वर्षों तक लंबित रहती थीं, जिससे उपभोक्ता न्याय व्यवस्था पर भरोसा खोने लगते थे।प्रस्तावित संशोधन में शिकायत स्वीकार करने, प्रारंभिक जांच करने और अंतिम समाधान देने की समय- सीमा निर्धारित करने पर विशेष जोर दिया गया है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह भारतीय उपभोक्ता प्रशासनिक इतिहास में एक

महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। इससे कंपनियों और सेवा प्रदाताओं पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे उपभोक्ता समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें, अन्यथा उन्हें जुर्माना, दंड या मुआवजा देना पड़ सकता है।वास्तव में यह संशोधन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक संरचना की आवश्यकता भी है। आज भारत वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी ऐसे देशों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं, जहां उपभोक्ता संरक्षण मजबूत हो और कानूनी ढांचा पारदर्शी हो। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका,जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में उपभोक्ता अधिकारों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। वहां उपभोक्ता के साथ गलत व्यवहार करने पर कंपनियों पर अरबों डॉलर तक के दंड लगाए जाते हैं। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 भारत को एक ऐसी जवाबदेह अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां उपभोक्ता अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहकर व्यवहारिक रूप से लागू हों। साथियों बात अगर हम इस विनियमन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को समझने की करें तो ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण को मजबूत करना है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी भारत में विस्फोटक गति से बढ़ी है। लेकिन इसके साथ नकली उत्पाद, गलत डिलीवरी, रिफंड में देरी, फर्जी डिस्काउंट और उपभोक्ता डेटा के दुरुपयोग जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं। अनेक बार उपभोक्ता शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन कंपनियां उन्हें लंबी प्रक्रिया में उलझाकर समस्या का समाधान नहीं करतीं। प्रस्तावित संशोधन में ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही तय करने, शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और शिकायतों की नियमित निगरानी का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि यह प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो भारत का डिजिटल बाजार अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकता है। आज के समय में उपभोक्ता केवल उत्पाद नहीं खरीदता, बल्कि डिजिटल विश्वास भी खरीदता है। यदि उपभोक्ता को यह भरोसा न हो कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी, तो पूरा आर्थिक ढांचा कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जैसे वैश्विक संस्थान भी मजबूत उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। भारत का यह नया विनियमन वैश्विक मानकों के अनुरूप उपभोक्ता शासन प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक सटीक सकारात्मक संकेत देता है। साथियों बात अगर हम इस संशोधन का एक अन्यमहत्वपूर्ण आयाम को समझने की करें तो यह मुआवजा प्रणाली को मजबूत करना है। भारतीय व्यवस्था में लंबे समय तक उपभोक्ता को न्याय प्राप्त करने के लिए अलग से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। प्रस्तावित विनियमन में गलत बिलिंग, सेवा में लापरवाही, अनुचित शुल्क, डिजिटल धोखाधड़ी और भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में उपभोक्ताओं को स्वतःमुआवजा देने की अवधारणा पर जोर दिया गया है। यह प्रावधान यदि प्रभावी रूप से लागू होता है, तो यह कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।इससे उपभोक्ताओं का समय और संसाधन दोनों बचेंगे तथा न्याय प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ भी कम होगा।भारत में बिजली, दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में गलत बिलिंग और सेवा विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार उपभोक्ताओं को औसत से कई गुना अधिक बिल भेज दिए जाते हैं और भुगतान न करने पर सेवा बंद करने की धमकी दी जाती है। नए विनियमन में यह प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यदि किसी उपभोक्ता का बिल असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तो सेवा प्रदाता को स्वतः जांच करनी होगी और जांच पूरी होने तक सेवा बंद नहीं की जा सकेगी। यह उपभोक्ता हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में लाखों उपभोक्ता तकनीकी त्रुटियों और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार होते रहे हैं। साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में कई उपभोक्ता मामलों में अदालतों और आयोगों पर अत्यधिक बोझ को समझने की करें तो,इससे मामलों का निपटान धीमा हो जाता है। यदि क्षेत्रीय लोकपाल कार्यालय, ऑनलाइन अपील और वीडियो सुनवाई जैसी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो उपभोक्ताओं को त्वरित राहत मिल सकती है। यह प्रणाली विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, जिन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों तक यात्रा करनी पड़ती थी।उपभोक्ता आयोगों का डिजिटलीकरण भी इस संशोधन की एक बड़ी विशेषता है।ई-कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन केस फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं न्यायिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बना सकती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद पूरी दुनिया ने यह अनुभव किया कि डिजिटल न्याय प्रणाली केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है।भारत में भी यदि उपभोक्ता आयोग तकनीकी रूप से सशक्त होते हैं, तो लंबित मामलों की संख्या कम करने में सटीकता से सहायता मिल सकती है। साथियों बात अगर हम इस विनियमन के सामने कई चुनौतियां भी होंगी इसको समझने की करें तो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कानून बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन उसका समान और प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत कठिन कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिजिटल साक्षरता सीमित है। अनेक उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। कई राज्यों में उपभोक्ता आयोगों में कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। यदि सरकार केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दे लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और जन-जागरूकता अभियान न चलाए, तो यह सुधार सीमित प्रभाव वाला साबित हो सकता है।इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब शिकायत प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी, तो करोड़ों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन संग्रहित होगी। यदि साइबर सुरक्षा मजबूत नहीं हुई,तो उपभोक्ता डेटा चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस विनियमन के साथ मजबूत डेटा संरक्षण नीति और साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करना भी आवश्यक होगा। साथियों बात अगर हम इस मामले को वैश्विक दृष्टि से देखने की करें तो,भारत का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और अमेरिका के विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण कानून पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि मजबूत उपभोक्ता अधिकार व्यवस्था किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। भारत भी अब विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों को केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक विश्वसनीयता का विषय मानने लगा है। यह परिवर्तन भारत को एक अधिकउत्तरदायी और निवेश-अनुकूल राष्ट्र के रूप मेंसटीकता से स्थापित कर सकता है। इस विनियमन का सामाजिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। भारत में गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ता अक्सर कंपनियों और संस्थाओं के सामने स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। यदि शिकायत प्रणाली वास्तव में सरल, सस्ती और तेज बनती है, तो आम नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होगा। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 भारत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ता -केंद्रित सुधारों की नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। यह विनियमन डिजिटल इंडिया, पारदर्शी शासन और जवाबदेह बाजार व्यवस्था की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। यदि इसे गंभीरता और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू किया जाता है, तो यह भारत को केवल दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित और उत्तरदायी उपभोक्ता बाजारों में भी शामिल कर सकता है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह संशोधन केवल एक कानूनी दस्तावेज बनकर रह जाता है या वास्तव में भारतीय उपभोक्ता अधिकारों की नई क्रांति का आधार बनता है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

चुनावी फ़ैसला : विपक्ष की कमजोरी क्या है

लेखक- प्रो. प्रदीप माथुर

हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विशेषकर मोदी युग के आगमन के बाद, अब राजनीति चुनाव-दर-चुनाव चलने लगी है। इस सप्ताह घोषित पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों की चर्चा अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है कि अगले वर्ष सात राज्यों में होने वाले चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हालिया चुनाव हों या अगले वर्ष के चुनाव, एक प्रश्न हर ओर पूछा जा रहा है—2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों का इतना निराशाजनक प्रदर्शन क्यों हो रहा है? चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में तो पूरा चुनाव अभियान ही निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर केंद्रित रहा। इसमें बहुत कम संदेह है कि नरेंद्र मोदी-अमित शाह शासन के दौरान न्यायपालिका, मीडिया तथा निर्वाचन आयोग और राज्यपाल कार्यालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर भारी दबाव रहा है, जिससे उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। फिर भी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर टिप्पणी करना कठिन है, लेकिन विपक्ष की खराब स्थिति का पूरा दोष केवल चुनावी धांधली या हेरफेर पर डाल देना उचित नहीं होगा। इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। विपक्ष द्वारा इस स्थिति की लगातार आलोचना कुछ हद तक उचित अवश्य है, लेकिन केवल इतना भर किसी मजबूत और गहरे जमे हुए भाजपा शासन को सत्ता से हटाने के लिए आवश्यक जनसमर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाने के बावजूद भाजपा को रोक नहीं सकीं, तो अन्य राज्यों में विपक्ष भाजपा के रथ को कैसे रोकेगा? हार से अधिक, सीटों के अंतर ने इन आशंकाओं को और मजबूत किया है। यद्यपि विपक्षी नेता खुलकर यह बात न कहें, लेकिन उनमें से अनेक स्वयं भी निकट भविष्य में भाजपा को सत्ता से हटाने की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। दरअसल, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। अनेक विपक्षी नेताओं में पराजयवादी सोच और नियतिवादी मानसिकता विकसित हो चुकी है। सत्ता के लंबे सुख ने उनमें संघर्ष की भावना को कमजोर कर दिया है। गैर-कांग्रेसी विपक्षी नेता यह समझने में असफल रहे हैं कि जोड़-तोड़ और समझौतों के सहारे सत्ता में बने रहने का दौर समाप्त हो चुका है। भाजपा व्यवस्थित ढंग से ऐसे दलों का इस्तेमाल करती रही है और बाद में उन्हें राजनीतिक हाशिये पर धकेल देती है। मायावती की बसपा, नवीन पटनायक की बीजद, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और नीतीश कुमार की जदयू इसके उदाहरण हैं। आत्मविश्वास और संघर्षशीलता की कमी के अलावा विपक्ष में दो और गंभीर कमजोरियाँ हैं। पहली, बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं का तार्किक और निष्पक्ष आकलन करने तथा आवश्यक सुधार करने की क्षमता का अभाव; और दूसरी, विपरीत परिस्थितियों में भी वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी। यही दोनों कारक भाजपा-आरएसएस शासन को चुनौती देने की विपक्ष की क्षमता के सबसे बड़े अवरोध हैं। काफी प्रयासों और बड़े प्रचार के बाद बना विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' भाजपा के सामने प्रभावी चुनौती क्यों नहीं बन पाया, यह गंभीर आत्ममंथन का विषय है। यह और भी आश्चर्यजनक है कि मोदी सरकार की अनेक मोर्चों पर विफलताओं के बावजूद विपक्ष ऐसा कोई मजबूत नैरेटिव तैयार नहीं कर सका, जो भाजपा शासन को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके।

पश्चिम बंगाल के चुनाव : भाजपा के लिए बडी चुनौती होगी टीएमटी नेटवर्क को तोड़ना

अशोक मधुप, वरिष्ठ पत्रकार

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीट पाकर सत्ता तो कब्जा ली ,भारी बहुमत भी हासिल कर लिया ,किंतु उसे यहां टीएमटी की बड़ी चुनौती का लगातार सामना करना होगा।टीएमटी उसके सामने लगातार चुनौती खड़ी करती रहेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण अध्याय है। यह केवल सत्ता के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुके राजनीतिक तंत्र को उखाड़कर नया तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया है। बूथ लेबिल तक अपना नेटवर्क बनाना है। जड़ तक पंहुचे भ्रष्टाचार को खत्म कर यहां विकास के रास्ते खोलना एक बड़ी चुनौती होगी। भर्ती घोटालों के लिए बदनाम बंगाल को गंगा सागर के जल से पवित्र करना होगा। इस सबके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पिछले 15 साल से बंगाल की नसों में इस कदर समाई हुई है कि उसे केवल चुनावी जीत से बेदखल नहीं किया जा सकता। भाजपा के लिए असली चुनौती शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगी, क्योंकि बंगाल में सत्ता का अर्थ केवल सचिवालय (नबन्ना) पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि 'पाड़ा' (मोहल्ले) और 'बूथ' पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका कैडर-आधारित ढांचा है। पहले यह केडर बेस ढांचा पहले वामपंथियों के पास था। इसे ममता बनर्जी ने एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद अपने पाले में किया। आज टीएमसी का संगठन केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में एक साधारण ग्रामीण के लिए टीएमसी का स्थानीय नेता ही कानून है, वही रोजगार दिलाने वाला है । वही सामाजिक विवादों का निपटारा करने वाला 'दादा' है। भाजपा के लिए सबसे पहली और बड़ी बाधा इसी 'बूथ-स्तर' के संगठन को तोड़ना है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपना आधार तो बढ़ाया है, लेकिन उसका ढांचा अभी भी कई जगहों पर 'ऊपर से नीचे' की ओर है। टीएमसी की जगह लेने के लिए भाजपा को ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी जो केवल चुनाव के समय सक्रिय न हों, बल्कि साल के 365 दिन जनता के सुख-दुख में साथ खड़े रहें। टीएमसी की दादागिरी और गुंडागर्दी बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का एक दुखद हिस्सा बन चुकी है। यहाँ 'मसल पावर' और 'मनी पावर' का ऐसा गठजोड़ है जो विपक्षी कार्यकर्ताओं को पनपने नहीं देता। भाजपा यदि सरकार बना भी लेती है, तो उसे एक ऐसी पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को पुनर्जीवित करना होगा जो दशकों से राजनीतिक इशारों पर नाचने का आदी हो चुका है। टीएमसी के कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी, सिंडिकेट और वसूली के तंत्र से जुड़े हैं, वे आसानी से अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को यहाँ 'कानून के राज' को बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वह स्वयं उसी हिंसा के चक्र में न फंस जाए। जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि भाजपा की सरकार में किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण जान का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। विश्वास बहाली की इस प्रक्रिया में 'अस्मिता' और 'विकास' का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने हमेशा भाजपा को 'बाहरी' (बोहिरागोतो) दल के रूप में चित्रित किया है। इस नैरेटिव को काटने के लिए भाजपा को बंगाली संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक प्रखरता से साबित करना होगा। केवल जय श्री राम के नारे से बंगाल नहीं जीता जा सकता। यहाँ के लोगों के मन में महाप्रभु चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रबींद्रनाथ टैगोर के प्रति जो अगाध श्रद्धा है। सुभाष चंद्र बोस उनके आदर्श हैं। इन सब को उन्हें अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाना होगा। जब तक बंगाल का सामान्य नागरिक यह महसूस नहीं करेगा कि भाजपा उसकी संस्कृति की संरक्षक है, तब तक पूर्ण विश्वास हासिल करना असंभव है। घुंसपेठियों के लिए महफूज पश्चिमी बंगाल से बाहरी देशों के अवैध प्रवासियों को रोकना भी एक चुनौती होगी। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती और बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती से इस अवैध घुसपैंठियों के हौसले काफी कमजोर हैं।इन्हें पूरी तरह तोड़ना होगा ।अच्छा यह है कि कभी सत्ताकाकेंद्र बिंदू रही माकपा अब पूरी तरह हाशिंए पर चली गई वरन कभी उसकी पश्चिमी बंगाल में वही हालत थी तो वहां आज टीएमसी की हैं। आर्थिक मोर्चे पर बंगाल आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। उद्योगों का पलायन और युवाओं का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करना एक कड़वी सच्चाई है। भाजपा को 'सोनार बांग्ला' के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देना होगा। सिंडिकेट राज को खत्म करना केवल पुलिसिया कार्रवाई से संभव नहीं है, इसके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। यदि भाजपा बंगाल में बड़े निवेश लाने में सफल रहती है और आईटी से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक में नौकरियां पैदा करती है, तो टीएमसी का कैडर जो आज केवल मजबूरी या लालच में सत्ता से चिपका है, वह धीरे-धीरे बिखरने लगेगा। भाजपा के लिए एक और बड़ी चुनौती राज्य के जनसांख्यिकीय समीकरण हैं। बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण एक सच्चाई है, लेकिन एक स्थिर सरकार चलाने के लिए उसे समाज के सभी वर्गों का विश्वास जीतना होगा। टीएमसी का आधार केवल गुंडागर्दी नहीं, बल्कि उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जैसे 'लक्ष्मी भंडार' या 'कन्याश्री'। इन योजनाओं ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को ममता बनर्जी के साथ जोड़ा है। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह न केवल इन योजनाओं का बेहतर विकल्प दे, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह टीएमसी के 'भय के तंत्र' को 'भरोसे के तंत्र' में कितनी जल्दी बदल पाती है। संगठन बनाना ईंट-पत्थर जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों में जगह बनाने जैसा है। टीएमसी के घर पर कब्जा करने का मतलब उनके कार्यालयों पर झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उस आम बंगाली के मन से डर निकालना है जो आज अपनी राय जाहिर करने से कतराता है। भाजपा को एक ऐसी समावेशी राजनीति का परिचय देना होगा जहाँ विकास का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बिना किसी कट-मनी या राजनीतिक भेदभाव के। यदि भाजपा इस परीक्षा में सफल होती है, तभी वह बंगाल में एक स्थायी और सार्थक परिवर्तन ला पाएगी, अन्यथा सत्ता का परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव बनकर रह जाएगा, व्यवस्था का नहीं। बंगाल की मिट्टी को शांति और प्रगति की प्यास है, और जो दल इस प्यास को बुझाएगा, वही सही मायने में बंगाल का भाग्य विधाता बनेगा।

अशोक मधुप
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पीड़ा के अंधेरों में उम्मीद का दीप जलाता रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन

लेखक- सुनील कुमार महला

हर साल 8 मई को मानवता, सेवा, करुणा और निःस्वार्थ सहायता के भाव को समर्पित विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संकट, युद्ध, आपदा या महामारी जैसी परिस्थितियों में निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रेड क्रॉस का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना और मानव जीवन की रक्षा करना है। यह दिवस समाज में मानवता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है।पाठकों को बताता चलूं कि मानव सेवा और राहत कार्यों के लिए प्रसिद्ध संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेन्ट मूवमेंट के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट, जिन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का जनक भी माना जाता है, की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हेनरी ड्यूनेन्ट को उनके अभूतपूर्व मानवीय कार्य के लिए 1901 में दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेड क्रॉस इतिहास का इकलौता ऐसा संगठन है जिसे एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मसलन, 1917 में (प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मानवीय कार्यों के लिए), 1944 में (द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए) तथा 1963 में (संगठन की 100वीं वर्षगांठ पर) में इसे पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा, इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेन्ट को मिला पहला नोबेल पुरस्कार (1901) जोड़ लिया जाए, तो इस आंदोलन के खाते में कुल 4 नोबेल पुरस्कार आते हैं। वास्तव में, इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य युद्ध, आपदा और संकट के समय मानवता की सेवा करने वालों का सम्मान करना है। सरल शब्दों में कहें तो यह दिवस पूरी दुनिया में आपदा, युद्ध, किसी महामारी और संकट के समय लोगों की सहायता करने वाले लाखों स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को सम्मान देने के क्रम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज भी दुनिया में बहुत से लोग आपदाओं, युद्ध, तनाव आदि से पीड़ित हैं और यह दिवस ऐसे लोगों की सहायता,मदद के लिए आम लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। यह लोगों को रक्तदान करने, महामारी या युद्ध से पीड़ित लोगों का प्राथमिक उपचार करने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने, उन्हें समय पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को समर्पित है। यह वोलंटियर्स के योगदान का सम्मान करता है तथा उन्हें मान्यता देता है।मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता तथा सार्वभौमिकता इस दिवस के मूल व अहम् सिद्धांत हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह दिवस मानवता की रक्षा को समर्पित है। बहरहाल, यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास पर नजर डालें तो, वर्ष 1859 में इटली के सोलफेरिनो की लड़ाई के दौरान हजारों घायल सैनिकों को तड़पते देखकर हेनरी ड्यूनांट अत्यंत व्यथित हुए। दरअसल, 1859 में, स्विट्जरलैंड के एक युवा व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेन्ट अपने व्यापार के सिलसिले में नेपोलियन तृतीय से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने इटली में सोलफेरिनो का युद्ध देखा। उन्होंने यह देखा कि युद्ध क्षेत्र में लगभग 40,000 सैनिक मृत या तड़पते हुए पड़े थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इस भयावह मंजर ने ड्यूनेन्ट को झकझोर दिया और उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को इकट्ठा किया और बिना यह देखे कि घायल सैनिक किस देश का है, नारा दिया-हम सब भाई हैं।वास्तव में ,इसी घटना ने आगे चलकर रेड क्रॉस की नींव रखी। वास्तव में, ड्यूनेंट ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों की सेवा की और बाद में सोलफेरिनो की एक स्मृति(ए मेमोरी आफ सोलफेरिनो) नामक पुस्तक लिखी। इसी विचार से साल 1863 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई तथा आगे चलकर जिनेवा सम्मेलन अस्तित्व में आए। बाद में, वर्ष 1948 में आधिकारिक रूप से 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस घोषित किया गया।

पायलट बनने के सपने से लेकर शूटिंग तक का सफर

● राइफल दिलाने के लिए पिता ने बेच दिया था घर

नई दिल्ली। देश के स्टार शूटर और ओलंपिक पद विजेता गगन नारंग का आज जन्मदिन है। नारंग ने देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गगन नारंग पहले भारतीय शूटर हैं, जो लंदन ओपंपिक में क्वालीफाइड हुए थे। 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में नारंग नें पुरुष श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में 701.1 प्वाइंट के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस खिलाड़ी का बचपन बड़ा ही दिलचस्प है। गगन ने काफी उम्र में ही सफलता हासिल की।

20 की उम्र में जीता स्वर्ण पदक- 2003 में एफ्रो एशियन गेम्स में शूटिंग प्रतियोगिता में गगन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उस समय उनकी उम्र 20 साल थी। 2006 में मेलबर्न में हुए कॉनवेल्थ गेम्स के अलग-अलग प्रतियोगिता में गगन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके बाद 2008 में चीन में हुए विश्वकप में भी गगन ने स्वर्ण पदक जीता।

पायलट बनना चाहते थे नारंग- 6 मई, 1983 को जन्मा यह खिलाड़ी बचपन से वायुसेना में पायलट बनना चाहता था। गगन के पिता भीमसेन नारंग बताते हैं, नारंग में बचपन में ही निशानेबाजी की प्रतिभा दिख गई थी। उनके अनुसार, 2 साल की उम्र गगन ने बलून पर पिस्टल से निशाना लगाया था। उसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनका बेटा निशानेबाजी में काफी आगे जा सकता है।

कॉमनवेल्थ में जीते 4 पदक- साल 2010 में नई दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गगन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसमें 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी शामिल थी। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। 2010 में ही एशियाई गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा बैंकाक में होने वाले ढ्डस्स्न्न विश्व कप के फाइनल में गगन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस उपलब्धि के बाद गगन की रैंकिंग बढ़ गई और वह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में शीर्ष निशानेबाजों में शुमार हो गए। अंतरराष्ट्रीय खेलों में यह सफलता हासिल करने वाले गगन नारंग तीसरे भारतीय निशानेबाज बन गए थे।

ग्रैंड स्लैम का बहिष्कार

● अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एकमात्र तरीका: एरिना सबालेंका

नई दिल्ली । दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने मंगलवार को कहा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में ज्यादा हिस्सा पाने के खिलाड़ी हकदार हैं। चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ने कहा कि ज्यादा हिस्से के लिए टूर्नामेंट का बहिष्कार करने को भी तैयार हैं। एरिना सबालेंका ने इटैलियन ओपन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि शो हमारी तरफ से है। हमारे बिना कोई टूर्नामेंट नहीं होता। वह एंटरटेनमेंट नहीं है। हम निश्चित रूप से अधिक राशि पाने के हकदार हैं। मुझे लगता है कि किसी समय हम बहिष्कार करेंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ने का यही एकमात्र तरीका है।' उन्होंने कहा, 'हम लड़कियां आसानी से एक साथ आ सकती हैं और इसके लिए जा सकती हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें खिलाड़ियों के साथ बहुत गलत हैं। किसी समय यह अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगा। पिछले साल लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों ने चार ग्रैंड स्लैम बॉस को दो पत्र साइन किए थे। इसमें पुरस्कार राशि बढ़ाने, संन्यास, और मातृत्व के अवसर पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों के कल्याण के लिए भुगतान करने की मांग की गई थी। पत्र में टूर्नामेंट राजस्व में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया था, जिससे मेजर टूर्नामेंट एटीपी मेन्स टूर और विमेंस डब्ल्यूटीए टूर द्वारा चलाए जाने वाले नौ संयुक्त 1000-लेवल इवेंट्स के बराबर आ जाएंगे।'

महिला एकल में चार बार की फ्रेंच ओपन की विजेता पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कहा, 'टूर्नामेंट के बहिष्कार का निर्णय थोड़ा ज्यादा हो जाएग।' स्वियाटेक ने कहा, 'सच कहूं तो सबसे जरूरी बात गवर्निंग बॉडीज के साथ सही संवाद और चर्चा है। हमारे पास अपनी बात रखने की जगह होनी चाहिए। उम्मीद है कि फ्रेंच ओपन से पहले इस तरह की बैठक करने का मौका मिलेगा और हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है।'

खिलाड़ियों ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि फ्रेंच ओपन द्वारा पुरस्कार राशि में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा काफी नहीं है। पिछले साल फ्रेंच ओपन की कमाई 395 मिलियन यूरो थी, जो उसके पहले के वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। कुल पर्स में सिर्फ 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खिलाड़ियों का राजस्व हिस्सा घटकर 14.3 प्रतिशत रह गया है। अनुमान के मुताबिक इस साल फ्रेंच ओपन का राजस्व 400 मिलियन यूरो से ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से खिलाड़ी अपनी राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एरिना ने फ्रेंच ओपन 2026 की शुरुआत से पहले अपनी मांग रखकर आयोजकों को निश्चित रूप से पुरस्कार राशि पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ा दिया है। फ्रेंच ओपन 2026 का 18 मई से 7 जून 2026 तक खेला जाना है।

बेंगलुरु से छीनी फाइनल की मेजबानी

अब अहमदाबाद में होगा खिताबी मुकाबला

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने 6 मई को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों के आधिकारिक कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस घोषणा की सबसे बड़ी खबर यह है कि टूर्नामेंट का फाइनल अब बेंगलुरु में नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

बेंगलुरु से क्यों बदला गया फाइनल का वेन्यू?

बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शुरुआत में फाइनल मैच की मेजबानी बेंगलुरु को सौंपी गई थी। हालांकि, स्थानीय क्रिकेट संघ और पदाधिकारियों की कुछ ऐसी मांगें थीं जो बीसीसीआई के तय नियमों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर पाई गईं।

धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी

ढ्ढक्क्रु2026 के समापन के लिए बीसीसीआई ने तीन स्थानों का चयन किया है। प्लेऑफ का सफर 26 मई को धर्मशाला के सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से शुरू होगा, जहां क्वालिफायर-1 खेला जाएगा। इसके बाद, टूर्नामेंट का कारवां न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ओर बढ़ेगा, जहां 27 मई को एलिमिनेटर और 29 मई को क्वालिफायर-2 के महत्वपूर्ण मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार है जब न्यू चंडीगढ़ जैसे नए केंद्रों को प्लेऑफ जैसे हाई-वोल्टेज मैचों की जिम्मेदारी दी गई है।

बीसीसीआई द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार तारीखें इस प्रकार हैं

- **क्वालिफायर 1 :** 26 मई 2026, धर्मशाला – इसमें शीर्ष दो टीमें भिड़ेंगी और जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी।
- **एलिमिनेटर :** 27 मई 2026, न्यू चंडीगढ़ – इसमें तीसरे और चौथे स्थान की टीमों के बीच 'करो या मरो' का मुकाबला होगा।
- **क्वालिफायर 2 :** 29 मई 2026, न्यू चंडीगढ़ – यहां एलिमिनेटर की विजेता का सामना क्वालिफायर-1 में हारने वाली टीम से होगा।
- **फाइनल :** 31 मई 2026, अहमदाबाद – क्वालिफायर-1 और क्वालिफायर-2 की विजेता टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी।

व्यापार

रिटायरमेंट के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम (एनपीएस संचय) है। इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस योजना को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें निवेश विकल्प और एसेट अलोकेशन समझने में दिक्कत होती है। यह योजना ऑल सिटीजन मॉडल और मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क के तहत आती है। एनपीएस संचय का मुख्य मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि अंतिम स्तर पर सलाह की कमी के बावजूद लोग आसानी से रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकें। बता दें कि देश के लगभग 90 प्रतिशत वर्कफोर्स को रोजगार देने वाला असंगठित क्षेत्र अब तक औपचारिक पेंशन कवरेज से वंचित रहा है। ऐसे में यह योजना बड़ा असर छोड़ सकती है। एनपीएस संचय योजना में 18 से 85 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन खाता खोल सकता है और निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस संचय में शामिल होने के लिए निवेशकों को सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। योजना के निवेश पैटर्न की बात करें तो मौजूदा सरकारी पेंशन योजनाओं जैसे ही होगा। उदाहरण के लिए अटल पेंशन योजना में जिस तरीके से निवेश होता है वैसा ही पैटर्न होगा। एनपीएस संचय में न्यूनतम और आगे के योगदान के नियम वही होंगे जो की अन्य सामान्य योजनाओं में लागू हैं। भविष्य में इनमें बदलाव कर सकता है।

दुनिया के अमीरों में अंबानी का घटा रुतबा, मस्क से अर्नाल्ट तक पर डॉलर की बारिश

नईदिल्ली, एजेंसी। दुनिया के अमीरों में मुकेश अंबानी रुतबा घट गया है। अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के टॉप-20 से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर टॉप-10 अरबपतियों में से 9 पर बुधवार को डॉलर की बारिश हुई है। टेस्ला के एलन मस्क की दौलत में बुधवार को 6.66 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इसके साथ ही उनकी संपत्ति 663 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। लैरी पेज की दौलत 8.01 अरब डॉलर बढ़ी। अब इनके पास 335 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। सर्गी ब्रिन के ऊपर 7.37 अरब डॉलर की बारिश हुई है। इनका नेटवर्थ 311 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के पास 292 अरब डॉलर की संपत्ति है। इनमें बुधवार को 1.46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

हाई कोर्ट पहुंचा टाटा का विवाद, टल सकती है 8 मई को होने वाली टाटा ट्रस्ट्स की मीटिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ट्रस्ट्स का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। बंबई हाई कोर्ट में बुधवार को दायर एक याचिका में टाटा ट्रस्ट्स की शुक्रवार को होने वाली अहम बैठक को कैंसिल करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि सर रतन टाटा ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में ट्रस्टों से जुड़े नियमों में सितंबर 2025 में किए गए संशोधन का उल्लंघन किया है। इसलिए 1 सितंबर, 2025 के बाद लिए गए सभी फैसलों को अवैध करार दिया जाना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स का टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में मैज्योरिटी स्टेक है। इसमें एसआरटीटी का स्टेक 23.56 प्रतिशत है।

ईटी के मुताबिक यह याचिका सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े ने दायर की है। उनका तर्क है कि एसआरटीटी का मौजूदा बोर्ड महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन) एक्ट, 2025 के अनुरूप नहीं है। अगर कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करता है और याचिकाकर्ता को राहत देता है तो टाटा ट्रस्ट्स को अपनी मीटिंग रोकनी पड़ सकती है। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें टाटा ट्रस्ट्स ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में अपने रिप्रजेंटेशन की समीक्षा करने की तैयारी में है। अभी टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट के नॉमिनी हैं। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2025 में एक नई धारा जोड़ी गई थी। इसमे तहत स्थायी ट्रस्टियों की संख्या को ट्रस्ट की कुल क्षमता के एक-चौथाई तक सीमित कर दिया गया था। नया नियम पिछले साल 1 सितंबर से लागू हुआ था। याचिका के मुताबिक एसआरटीटी में भी छह ट्रस्टी हैं जिनमें से तीन जिम्मी नवल टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर और नोएल नवल टाटा स्थायी ट्रस्टी हैं। यह संख्या कुल स्ट्रेंथ का 50 फीसदी है जबकि कानून के मुताबिक 25 फीसदी होनी चाहिए।

नियमों के उल्लंघन का आरोप: 8 मई को टाटा ट्रस्ट्स की एक अहम मीटिंग होने वाली है सर रतन टाटा ट्रस्ट पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप बंबई हाई कोर्ट में दायर याचिका में मीटिंग कैंसिल करने की मांग टाटा ट्रस्ट्स की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में बहुलांश हिस्सेदारी ट्रस्ट को तीन स्थायी सदस्य बनाए रखने के लिए ट्रस्टीज की संख्या बढ़ाकर 12 करनी होगी।

12 की उम्र में शादी, 16 में मौत के मुंह से वापसी, उसके बाद कल्पना सरोज ने खड़ा किया 100 करोड़ का साम्राज्य

नई दिल्ली, एजेंसी। सफलता की कहानियां अक्सर किसी असफलता या नौकरी जाने के बाद शुरू होती हैं, लेकिन कल्पना सरोज की कहानी उस उम्र में शुरू हुई जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं। एक दलित परिवार में जन्मीं कल्पना ने गरीबी, सामाजिक भेदभाव, बाल विवाह और घरेलू हिंसा के उस नरक को देखा है, जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। लेकिन आज वह 100 करोड़ रुपये से अधिक के बिजनेस साम्राज्य की मालकिन हैं।

कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं के कारण मात्र 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और उन्हें मुंबई भेज दिया गया। मुंबई में उनके पति के परिवार ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला इतना बढ़ा कि 16 साल की उम्र में उनके पिता उन्हें वापस गांव ले आए। लेकिन समाज ने उन्हें सहारा देने के बजाय कलंक माना।

तिरस्कार और अपमान से तंग आकर कल्पना ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कल्पना बच गईं। मौत के करीब पहुंचकर उन्हें अहसास हुआ कि जब वह मर नहीं सकीं, तो उन्हें जीने का हक है। वह फिर से मुंबई आ गईं और एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम शुरू किया। यहां से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में अपनी पहली ताकत मिली। व्यापार और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2013 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

कैसे शुरू हुआ उद्यमिता का सफर

कल्पना ने महसूस किया कि केवल मजदूरी से जीवन नहीं बदलेगा। उन्होंने सरकारी लोन लेकर एक छोटा फर्नीचर व्यवसाय शुरू किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वह कमानी ट्यूब्स से जुड़ीं। यह कंपनी कर्ज और कानूनी विवादों के कारण सालों से बंद पड़ी थी। बेरोजगार मजदूर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो कंपनी को बचा सके। अनुभवी दिग्गजों ने भी इस डूबती कंपनी से हाथ खींच लिए थे, लेकिन कल्पना ने इसकी बारीकियों को समझा। उन्होंने कानूनी लड़ाइयां लड़ीं, बैंकों से बातचीत की और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कंपनी का पुनर्गठन किया। उनकी मेहनत रंग लाई और 'कमानी ट्यूब्स' फिर से मुनाफे में आ गई। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट और स्टील जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। आज उनका बिजनेस ग्रुप 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।

आरबीआई ने मनी चेंजर्स के लिए नए लाइसेंस पर लगाई रोक

फॉरेक्स कारोबार के लिए जारी किए नए नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) का लेनदेन करने वाली संस्थाओं के लिए नए और बदले हुए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, अब नए 'मनी चेंजर्स' (पैसा बदलने वाले) को लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि इन नियमों के जरिए विदेशी मुद्रा की सुविधा देने के लिए 'प्रिंसिपल-एजेंट' मॉडल का विस्तार किया जाएगा, ताकि सही जांच-परख के साथ सेवाएं दी जा सकें।

आरबीआई ने कहा कि विदेशी मुद्रा सेवाओं की डिलिवरी सुधारने और नियमों का पालन आसान बनाने के मकसद से फॉरेक्स का काम करने वाले अधिकृत व्यक्तियों के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की गई है। इन नियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा का कोई भी लेनदेन करने के लिए सभी संस्थाओं को आरबीआई से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अलग-अलग कैटिगरी के अधिकृत डीलरों के लिए नियमों को फिर से तय किया गया है।

तीन कैटिगरी: नियमों के मुताबिक, नई मंजूरी के लिए आवेदनों पर तीन कैटिगरी में विचार किया जाएगा। एडी कैटेगरी-आई में बैंक आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी में वे और फुल फ्लेजेड मनी चेंजर या फॉरेक्स एजेंट आवेदन कर सकते हैं, जो कम से कम दो साल से काम कर रहे हों और पिछले दो वित्तीय वर्षों में जिनका सालाना औसत फॉरेक्स टर्नओवर 50 करोड़ रहा हो।

आरबीआई के नए नियम: फॉरेक्स का लेनदेन करने वाली संस्थाओं के लिए नए नियम लागू किए इन नियमों के तहत अब नए मनी चेंजर्स को लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे फॉरेक्स की सुविधा देने के लिए प्रिंसिपल-एजेंट मॉडल का विस्तार होगा

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)